2022 का विधेयक संख्यांक 185.

[दि कंपीटिशन (अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न--भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के संदर्भ में किया जाएगा ।

कतिपय पदों के प्रतिनिर्देश के स्थान पर कतिपय अन्य पदों का प्रतिस्थापन ।

2. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में,— 2003 का 12

(क) "कंपनी अधिनियम, 1956" शब्द और अंक, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, "कंपनी अधिनियम, 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1956 का 1 2013 का 18

(ख) "1956 का 1" अंक और शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, "2013 का 18" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङक) "प्रतिबद्धता" से धारा 48ख में निर्दिष्ट प्रतिबद्धता अभिप्रेत है ;';

(ख) खंड (ज) में, "ऐसा कोई व्यक्ति या सरकार का विभाग" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "से संबंधित हैं" शब्दों पर समाप्त होने वाले, भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ऐसा कोई व्यक्ति या सरकार का विभाग, जिसमें यूनिट, प्रभाग, समनुषंगी भी हैं, जो वस्तु या माल के उत्पादन, भंडारण, प्रदाय, वितरण, अर्जन या नियंत्रण या किसी प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था करने या विनिधान से संबंधित किसी आर्थिक क्रियाकलाप में, या किसी अन्य निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, हामीदारी या संव्यहार के कारबार में या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसकी एक या अधिक इकाइयों या प्रभागों या समनुषंगियों के माध्यम से लगा हुआ है, या लगा रहा है, किंतु इसके अंतर्गत सरकार का कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं आता है जो सरकार के संप्रभु कृत्यों जिनके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा, करेंसी, रक्षा तथा अंतरिक्ष से संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप भी हैं, से संबंधित हैं ;';

(ग) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(टक) "पक्षकार" के अंतर्गत, यथास्थिति, कोई उपभोक्ता या कोई उद्यम या कोई व्यक्ति या कोई सूचना प्रदाता या कोई उपभोक्ता संगम या कोई व्यापार संगम या केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या कोई कानूनी निकाय हैं और इसके अंतर्गत कोई उद्यम या कोई व्यक्ति सम्मिलित होगा, जिसके विरुद्ध कोई जांच या कार्यवाही संस्थित की गई हो और कोई उद्यम या व्यक्ति है, जिससे आयोग द्वारा कार्यवाहियों में पक्षकार बनने के लिए कहा गया है ;';

(घ) खंड (ठ) के उपखंड (vi) में, "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 1956 का 1 2013 का 18

(ङ) खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(त) "लोक वित्तीय संस्था" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (72) में यथा परिभाषित लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है और 2013 का 18

इसके अंतर्गत कोई राज्य वित्तीय निगम, राज्य औद्योगिक निगम या राज्य विनिधान निगम है ;';

(च) खंड (न) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(न) "सुसंगत उत्पाद बाजार" से ऐसा बाजार अभिप्रेत है, जो ऐसे सभी उत्पादों या सेवाओं से मिलकर बना है,—

(i) जो उत्पादों या सेवाओं की विशिष्टताओं, उनकी कीमत और आशयित उपयोग के कारण उपभोक्ता द्वारा अन्तर्निमेय या प्रतिस्थापनीय माना जाता है ;

(ii) जिनके उत्पादन या पूर्ति को पूतिकर्ता द्वारा ऐसे उत्पादों और सेवाओं के बीच उत्पादन को बदलने और लघु अवधि में संबंधित कीमतों में लघु और स्थाई परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में उनके विपणन में बिना कोई महत्वपूर्ण अतिरिक्त लागत या जोखिम उपगत करते हुए अन्तर्निमेय या प्रतिस्थापनीय माना जाता है ;';

(छ) खंड (प) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(पक) "परिनिर्धारण" से धारा 48क में निर्दिष्ट परिनिर्धारण अभिप्रेत है ;';

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (3) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि कोई उद्यम या उद्यमों का संगम या कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम तथापि समान या उसी तरह के व्यापार में नहीं लगे हुए हैं, को भी इस उपधारा के अधीन करार का हिस्सा समझा जाएगा यदि वे ऐसे करार को अग्रसर करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है ।";

(ख) उपधारा (4) में,—

(i) "उद्यमों या व्यक्तियों के बीच कोई करार" शब्दों के स्थान पर, "उद्यमों या व्यक्तियों के बीच कोई अन्य करार, जिसके अंतर्गत उद्यम या व्यक्ति के बीच करार है किंतु उस तक ही सीमित नहीं है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "प्रदाय" शब्द के स्थान पर, "व्यौहार" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी उद्यम और श्रृंखला के अंत में उपभोक्ता के बीच हुए किसी करार को लागू नहीं होगी ।";

(iv) **स्पष्टीकरण में**,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड

रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) "इंतजाम करने में सहबद्धता" के अंतर्गत कोई ऐसा करार सम्मिलित है, जो माल या सेवाओं के क्रेता से ऐसे क्रय की शर्त के रूप में कोई अन्य सुभिन्न वस्तु या सेवाओं को क्रय करने की अपेक्षा करता है ;

(ख) "अनन्य प्रदाय करार" के अंतर्गत कोई करार सम्मिलित है, जो किसी भी रीति में, यथास्थिति, क्रेता या विक्रेता को उसके व्यापार के प्रक्रम में, यथास्थिति, विक्रेता या क्रेता के माल या सेवाओं से भिन्न किन्हीं माल या सेवाओं के अर्जन या विक्रय या अन्यथा उनमें व्यौहार को निर्बंधित करता है ;';

(ii) खंड (ग) में, "माल" शब्द, दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, के पश्चात्, "या सेवाएं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) में, "माल" शब्द, दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, के पश्चात्, "या सेवाएं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) खंड (ङ) में, "के अंतर्गत इस शर्त पर माल विक्रय करने का कोई करार भी है" शब्द के स्थान पर, "के अंतर्गत माल का विक्रय करने या सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी करार की दशा में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्बंधन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (5) के खंड (i) के उपखंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि ।"।

धारा 4 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के स्पष्टीकरण में, "विभेदकारी शर्त या कीमत" शब्दों के स्थान पर, "शर्त या कीमत" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 5 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(अ) खंड (ग) के उपखंड (ii) की मद (आ) में, "आवर्त हैं" शब्दों के स्थान पर, "आवर्त हैं ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) किसी उपक्रम में किसी नियंत्रण, शेयरों, मतदान अधिकारों या आस्तियों के अर्जन, विलयन या समामेलन के संबंध में किसी संव्यवहार का मूल्य दो हजार करोड़ रूपए से अधिक होता है :

परंतु उपक्रम, जो संव्यवहार में एक पक्षकार है, के भारत में ऐसे सारवान कारबार प्रचालन है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(ङ) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उद्यम की या तो आस्तियों के मूल्य या व्यापारावर्त का अर्जन किया जा रहा है, उनका नियंत्रण लिया जा रहा है, विलयन या समामेलन किया जा रहा है, जो ऐसे मूल्य से अधिक नहीं है, जो विहित किया जाए, ऐसा अर्जन, नियंत्रण, विलयन या समामेलन धारा

5 के अधीन समुच्चय का गठन नहीं करेगा ।";

(ग) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "नियंत्रण" से किसी भी रीति में, चाहे जो भी हो, निम्नलिखित के द्वारा प्रबंधन या मामलों या सामरिक वाणिज्यिक विनिश्चयों पर तात्विक प्रभाव डालने की योग्यता—

(i) अन्य उद्यम या समूह पर एक या अधिक उद्यम, या तो संयुक्त रूप से या अलग--अलग ; या

(ii) अन्य समूह या उद्यम पर एक या अधिक समूह, या तो संयुक्त रूप से या अलग-अलग,

अभिप्रेत है ;

(ख) "समूह" से दो या अधिक उद्यम अभिप्रेत है, जहां एक उद्यम प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत :—

(i) अन्य उद्यम में मतदान का छब्बीस प्रतिशत या ऐसी अन्य उच्चतर प्रतिशतता, जो विहित की जाए, का उपयोग करने की स्थिति में है ; या

(ii) अन्य उद्यम में निदेशक बोर्ड में पचास प्रतिशत सदस्यों से अधिक की नियुक्ति करने की स्थिति में है ; या

(iii) अन्य उद्यम के प्रबंधन या कार्यों का नियंत्रण करने की स्थिति में है ;

(ग) "व्यापारावर्त" से कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा उस पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से तुरंत पूर्व वित्तीय वर्ष में, जिसमें धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन नोटिस फाइल किया गया था, के लिए कंपनी के अंतिम उपलब्ध संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रमाणित व्यापारावर्त अभिप्रेत है और भारत में ऐसे व्यापारावर्त का अवधारण अंत:समूह विक्रय, अप्रत्यक्ष कर, व्यापार बट्टा और सभी रकमें, जिनका सृजन भारत से बाहर के ग्राहकों की आस्तियों या कारबार के माध्यम से किया गया है, जैसा कि कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा उस पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से तुरंत पूर्व वित्तीय वर्ष में, जिसमें धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन नोटिस फाइल किया गया था, के लिए कंपनी के अंतिम उपलब्ध संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रमाणित हैं, सम्मिलित नहीं हैं ;

(घ) "संव्यवहार के मूल्य" में किसी अर्जन, आमेलन या समामेलन के लिए प्रत्येक मूल्यवान प्रतिफल, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या आस्थगित हो, सम्मिलित है ।

(ङ) आस्तियों के ऐसे मूल्य का अवधारण उद्यम की संपरीक्षित लेखा बहियों में उस वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष, जिसमें प्रस्तावित समुच्चय की तारीख आती है, यथादर्शित आस्तियों के बही मूल्य को गणना में लेकर किया जाएगा और यदि

ऐसा वित्तीय विवरण उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कंपनी के अंतिम उपलब्ध संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर की गई कानूनी संपरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने के लिए अभी तक देय नहीं हुई है, जो अवक्षयण घटाकर आए और आस्तियों के ऐसे मूल्य में ब्रांड मूल्य, गुडविल मूल्य या प्रतिलिप्याधिकार, पेटेंट, अनुज्ञात उपयोग, सामूहिक चिह्न, रजिस्ट्रीकृत प्रोप्राइटर, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न, रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, समान भौगोलिक उपदर्शन, भौगोलिक उपदर्शन, डिजाइन या ले-आउट डिजाइन या वैसे ही अन्य वाणिज्यिक अधिकार जिनका धारा 3 की उपधारा (5) में विधियों के अधीन उपबंध किया गया है ;"; 2013 का 18

(च) जहां किसी उद्यम या प्रभाग या कारबार के किसी भाग का अर्जन किया जा रहा है, नियंत्रण लिया जा रहा है, किसी अन्य उद्यम के साथ विलयन या समामेलन किया जा रहा है, उक्त भाग या प्रभाग या कारबार या उसकी आस्तियों का मूल्य धारा 5 के अधीन अवसीमा को लागू करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत आस्तियां या व्यापारावर्त या संव्यवहार का सुसंगत मूल्य होगा ।'।

धारा 6 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) "तीस दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर "निम्नलिखित में से किसी के पश्चात् किंतु समुच्चय के उपभोग से पूर्व" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, "खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, "और खंड (घ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) में, "खंड (क)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, "और खंड (घ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अन्य दस्तावेज" से कोई दस्तावेज अभिप्रेत है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार या आस्तियां अर्जित करने के करार या विनिश्चय को बताता हो यदि अर्जन अर्जित किए जाने वाले उद्यम की सहमति के बिना हो, अर्जन करने वाले उद्यम द्वारा निष्पादित कोई दस्तावेज चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो नियंत्रण, शेयर या मतदान अधिकार के अर्जन के विनिश्चय को बताता हो या जहां शेयरों, मतदान अधिकारों का अर्जन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और ग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार कोई लोक उद्घोषणा की गई है ।"; 1992 का 15

(ख) उपधारा (2क) में,—

(i) "दो सौ दस दिन" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ पचास दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु समुच्चय के पक्षकार द्वारा सुसंगत सूचना प्रस्तुत करने या उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए नोटिस की त्रुटियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करने की दशा में आयोग आदेश द्वारा अतिरिक्त समय अनुदत्त कर सकेगा, जो यथास्थिति, सुसंगत सूचना प्रस्तुत करने या त्रुटियों को दूर करने के लिए तीस दिन से अधिक नहीं होगा";

(ग) उपधारा (3) में, "धारा 29, धारा 30 और धारा 31" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 29, धारा 29क, धारा 30 और धारा 31" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) और उपधारा (5) तथा स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(4) उपधारा (2क) और उपधारा (3) तथा धारा 43क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई समुच्चय ऐसे मानदंड को पूरा करता है, जो विहित किया जाए और अन्यथा इस अधिनियम के अधीन उपधारा (2) के अधीन आयोग को नोटिस देने की अपेक्षा से छूट प्राप्त नहीं है, तब ऐसे समुच्चय के लिए नोटिस आयोग को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तावित समुच्चय के ब्यौरों का प्रकटन करते हुए दिया जा सकेगा और तत्पश्चात् उपधारा (2) के अधीन ऐसे समुच्चय के लिए एक पृथक् नोटिस देने की अपेक्षा नहीं होगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन नोटिस फाइल करने पर और आयोग द्वारा उसकी अभिस्वीकृति पर प्रस्तावित समुच्चय को धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित समझा जाएगा तथा उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन किसी अन्य अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी ।

(6) यदि धारा 20 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आयोग यह पाता है कि उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित समुच्चय उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है या प्रस्तुत की गई सूचना या घोषणाएं तात्विक रूप से सही नहीं है या अपूर्ण हैं, उपधारा (5) के अधीन दिया गया अनुमोदन प्रारंभ से ही शून्य होगा और आयोग ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परंतु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक समुच्चय को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

(7) इस धारा और धारा 43क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे मानदंड को पूरा करने से उपधारा (2), उपधारा (2क) और धारा 4 की अपेक्षाओं को पूरा करने से समुच्चयों के कतिपय प्रवर्गों को छूट दी जा सकेगी ।

(8) उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) में

अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(i) इन उपधाराओं में निर्दिष्ट विषयों पर, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम और विनियम, जैसा कि वह प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2020 के लागू होने से ठीक पूर्व थे और ऐसे प्रारंभ होने पर थे तब तक प्रवृत्त होना जारी रहेगा जब तक, यथास्थिति, नियम या विनियम इस अधिनियम के अधीन बनाए नहीं जाते हैं ; और

(ii) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों और विनियमों के अनुसरण में या उनके अधीन पारित किया गया कोई आदेश या अधिरोपित कोई फीस या बनाया गया समुच्चय या पारित संकल्प या दिया गया निदेश या निष्पादित या जारी किया गया लिखत या की गई कोई बात, यदि प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ होने पर प्रवृत्त है तो वह प्रवृत्त रहेगी और उसका ऐसे प्रभाव होगा मानो ऐसा पारित आदेश या ऐसी अधिरोपित फीस या ऐसा बनाया गया समुच्चय या ऐसा पारित संकल्प या ऐसा दिया गया निदेश या ऐसा निष्पादित या जारी किया गया लिखत इस अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में किया गया है ।

(9) इस धारा के उपबंध किसी शेयर प्रतिश्रुति या वित्तपोषण करने वाली सुविधा या किसी लोक वित्तीय संस्था अर्जन, विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता, बैंक या प्रवर्ग 1 विकल्पी विनिधान निधि को किसी ऋण करार या विनिधान करार की प्रसंविदा को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,—

(क) "प्रवर्ग 1 वैकल्पिक विनिधान निधि" का वही अर्थ है, जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 3 के उपविनियम (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट वैकल्पिक विनिधान निधि में है ; 1992 का 15

(ख) "विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता" का वही अर्थ है, जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ञ) के अधीन समनुदेशित है ;'। 1992 का 15

नई धारा 6कक का अंतःस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

खुले प्रस्ताव आदि ।

"6क. धारा 6 की उपधारा (2क) और धारा 43क में अंतर्विष्ट कोई बात किसी खुले प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से या किसी विनियामित स्टॉक एक्सचेंज से संव्यवहारों की किसी श्रृंखला के माध्यम से शेयरों या विभिन्न विक्रेताओं से अन्य प्रतिभूतियों में संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के अर्जन को प्रभावी करने से नहीं रोकेगी, यदि—

(क) आयोग के पास अर्जन का नोटिस ऐसे समय के भीतर और

ऐसी रीति में फाइल किया गया हो जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ; और

(ख) अर्जनकर्ता ऐसे शेयरों में या संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों में किन्हीं स्वामित्व या फायदाप्रद अधिकारों या हित, जिसके अंतर्गत मतदान अधिकार और लाभांश या किन्हीं अन्य संवितरणों की प्राप्ति भी है, का उपयोग नहीं करता है, जब तक आयोग अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार ऐसे अर्जन का अनुमोदन नहीं कर देता है ।"

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "खुला प्रस्ताव" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और ग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार किया गया खुला प्रस्ताव अभिप्रेत है ।'।

1992 का 15

धारा 8 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में, "उद्योग" शब्द के पश्चात्, "प्रौद्योगिकी" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

धारा 9 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (घ) में, "उद्योग" शब्द के पश्चात्, "प्रौद्योगिकी" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

धारा 12 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

11. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य के नियोजन पर निर्बंधन ।

"12. (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह पद पर नहीं रहते हैं, से दो वर्ष की कालावधि के लिए परामर्शदाता, रिटेनर या किसी अन्य क्षमता, चाहे जो भी हो, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे या सलाह नहीं देंगे या निम्नलिखित के प्रबंधन या प्रशासन से संबद्ध नहीं होंगे,—

(क) कोई उद्यम, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में पक्षकार है या रहा है ; या

(ख) कोई व्यक्ति, जो आयोग के समक्ष धारा 35 के अधीन उपस्थित होता है या उपस्थित हुआ है ।

(2) धारा 35 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य सेवानिवृत्ति या किन्हीं कारणों से सेवा में न रहने पर आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या उद्यम का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा :

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी कानूनी प्राधिकरण या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी में किसी नियोजन को लागू नहीं होगी ।";

2013 का 18

धारा 16 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में, "केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के उल्लंघन की जांच करने में आयोग की सहायता करने के प्रयोजन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किए गए हैं या उपबंधित किए जाएं, महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी ।" शब्दों के स्थान पर, "आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के

किसी भी उपबंध के उल्लंघन की जांच करने में आयोग की सहायता करने के प्रयोजन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किए गए हैं या उपबंधित किए जाएं, महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी ।" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 18 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

आयोग के कर्तव्य और कृत्य ।

"18. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे व्यवहारों को समाप्त करे, जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करे और उसे बनाए रखे, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करे और भारत के बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे :

परंतु आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन या अपने कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी विदेशी अभिकरण के साथ कोई ज्ञापन या ठहराव कर सकेगा :

परंतु यह और कि आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन या अपने कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए, किसी कानूनी प्राधिकरण या सरकार के विभाग के साथ कोई ज्ञापन या ठहराव कर सकेगा ।"।

धारा 19 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु आयोग तब तक कोई सूचना या निर्देश ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि वह हेतुक उपदर्शित करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर फाइल नहीं किया गया हो :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् कोई सूचना या निर्देश ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आयोग का विलंब को माफ करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि सूचना या निर्देश को ऐसी अवधि के भीतर फाइल न करने के पर्याप्त कारण रहे थे ।"

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ग) में, "बाजार में प्रवेश को प्रतिबंधित करके" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में, "फायदों का प्रोद्भवन" शब्दों के स्थान पर, "फायदे या अपहानि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) में, खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(झ) माल की विशेषताएं या सेवाओं की प्रकृति ; और

(ञ) अन्य क्षेत्रों में पूर्ति या मांग को परिवर्तित करने में सहयुक्त लागत ;";

(घ) उपधारा (7) में, —

(i) खंड (क) में, "उसका अंतिम उपयोग" शब्दों के पश्चात्, "या सेवाओं की प्रकृति" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : —

"(छ) अन्य माल या सेवाओं की मांग या पूर्ति को परिवर्तित करने में सहयुक्त लागत ;

(ज) ग्राहकों के प्रवर्ग ।

धारा 20 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(क) उपधारा (1) में, "या उस धारा के खंड (ग) में निर्दिष्ट विलयन या समामेलन के संबंध में" शब्दों, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, "धारा 5 के खंड (ग) या किसी उपक्रम के नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार या आस्तियों के अर्जन या उस धारा के खंड (घ) में निर्दिष्ट विलयन या समामेलन के संबंध में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "व्यापारावर्त के मूल्य" शब्दों के पश्चात्, "या संव्यवहार का मूल्य" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) के खंड (ग) में, "समुच्चय" शब्द के स्थान पर, "संकेंद्रन" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 21 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई कानूनी प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से आयोग को किसी ऐसे मुद्दे को निर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें, यथास्थिति, इस अधिनियम का कोई उपबंध अंतर्वलित है या जो इस अधिनियम के उद्देश्यों का संवर्धन करने से संबंधित है ।"।

धारा 21क का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (1) में,—

(क) "इस अधिनियम" शब्दों के स्थान पर, "अधिनियम" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु आयोग, स्वप्रेरणा से किसी कानूनी प्राधिकरण को किसी ऐसे मुद्दे पर निर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें अधिनियम के उपबंध अंतर्वलित हैं, जिनका कार्यान्वयन उस कानूनी प्राधिकरण को सौंपा गया है ।";

धारा 22 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) में, "और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 26 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 26 में,—

(क) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) आयोग, धारा 3 में निर्दिष्ट करार या धारा 4 के अधीन

किसी उद्यम या समूह के संचालन की जांच नहीं कर सकेगा, यदि वही या सारतः समान तथ्य और विवाद्यक धारा 19 के अधीन प्राप्त जानकारी में उठाए गए या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी से निर्देश पर उसके पूर्ववर्ती आदेश में आयोग द्वारा पहले ही विनिश्चय किया गया है ।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"(3क) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट महानिदेशक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, आयोग कि यह राय है कि अतिरिक्त अन्वेषण की आवश्यकता है तो मामले में अतिरिक्त जांच के लिए महानिदेशक को निदेश दे सकेगा ।

(3ख) महानिदेशक, उपधारा (3क) के अधीन निदेश की प्राप्ति पर मामले का अन्वेषण करेगा और अपने निष्कर्षों पर एक अनुपूरक रिपोर्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा ।";

(ग) उपधारा (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (3)" के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "उपधारा (3) और उपधारा (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (5) में शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (3)" के स्थान पर, "उपधारा (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (8) में शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (3)" के स्थान पर, "उपधारा (3) और उपधारा (3ख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(9) यथास्थिति, उपधारा (7) या उपधारा (8) के अधीन अन्वेषण और जांच के पूरा होने पर आयोग मामले को बंद करने का कोई आदेश पारित कर सकेगा या धारा 27 के अधीन कोई आदेश पारित कर सकेगा और इस आदेश की एक प्रति यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी या संबत्र पक्षकार को भेज सकेगा :

परंतु ऐसे आदेश को पारित करने के पूर्व आयोग, किए गए अभिकथित उल्लंघनों को दर्शाते हुए और ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा संबद्ध पक्षकारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देकर कारण बताओ सूचना जारी करेगा ।" ।

धारा 27 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 27 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) प्रत्येक ऐसे व्यक्तियों या उद्यमों पर, जो ऐसे करारों या दुरुपयोग के पक्षकार हैं, ऐसी शास्ति अधिरोपित करना, जो वह उचित समझे किंतु वह गत तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत व्यापारावर्त के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु किसी उत्पाद संघ के साथ धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार किए जाने की दशा में, आयोग उस उत्पादन संघ में सम्मिलित प्रत्येक उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता कर ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके लाभ के तीन गुणा तक या ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके आवर्त के दस प्रतिशत तक की इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, पद "आवर्त" या "आय", जैसी भी स्थिति हो ऐसी रीति में निर्धारित किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।'।

धारा 29 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 29 में, —

(क) उपधारा (1) में शब्द "तीस दिनों के भीतर" के स्थान पर "पन्द्रह दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1ख) आयोग धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपने प्रथम दृष्टया राय का प्ररुप ।";

(ग) उपधारा (2) में,—

(i) शब्द "सात कार्यदिवसों के भीतर" के स्थान पर "सात दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शब्द "दस कार्यदिवसों के भीतर" के स्थान पर "सात दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (3) में, शब्द "पन्द्रह कार्यदिवसों के भीतर" के स्थान पर "दस दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (4) में, शब्द "पन्द्रह कार्यदिवसों के भीतर" के स्थान पर "सात दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (5) में, शब्द "पन्द्रह दिनों के भीतर" के स्थान पर "दस दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) सभी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात्, आयोग यथास्थिति, धारा 29क या धारा 31 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार मामले को निपटाने की कार्यवाही करेगा ।

(7) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग समुच्चय के पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित समुचित उपांतरों को स्वीकार कर सकेगा या स्व:प्रेरणा से प्रस्तावित उपांतरण, जैसी भी स्थिति हो, उपधारा (1) के अधीन किसी प्रथम दृष्टतया राय का प्ररुप बनाने के लिए स्वीकार कर सकेगा ।" ।

नई धारा 29क का अंत:स्थापन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

आयोग द्वारा आक्षेपों का विवरण जारी करना और उपांतरणों का प्रस्ताव

"29क. (1) धारा 29 के अधीन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर, जहां आयोग की यह राय है कि समुच्चय प्रतिकूल प्रभाव डाला है या डालने वाला है, प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रुप से प्रतिकूल प्रभाव को पहचान करते हुए पक्षकारों के आक्षेपों का विवरण जारी करेगा और पक्षकारों को यह निदेश देगा कि उद्देश्यों के विवरण की प्राप्ति के 25 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करें कि ऐसे समुच्चय को प्रभावी करने की अनुज्ञा क्यों दी गई ।

(2) जहां समुच्चय के पक्षकार यह विचार करते हैं कि ऐसा प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रुप से प्रतिकूल प्रभाव ऐसे समुच्चय के उचित उपांतर द्वारा निकाला जा सकता है, उपधारा (1) के अधीन जारी आक्षेपों के विवरण पर उनके स्पष्टीकरण के साथ समुच्चय के समुचित उपांतरण का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रुप से ऐसी रीति में किया जाए ।

(3) यदि आयोग द्वारा, उपधारा (2) के अधीन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया उपांतर स्वीकार नहीं किया जाता है तो उस उपधारा के अधीन प्रस्तावित उपांतरों की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर पक्षकारों को सूचित किया जाएगा कि यह उपांतर प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रुप से प्रतिकूल प्रभाव डालने के कारण निकालने के लिए पर्याप्त क्यों हैं और उक्त सूचना, संशोधित उपांतर की प्राप्ति के 12 दिनों के भीतर उसे देने के लिए पक्षकारों को बुलाएगा, यदि कोई प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रुप से प्रतिकूल प्रभाव डालने के कारण उसे निकाला गया है:

परंतु आयोग ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति से 12 दिनों के भीतर उपांतर के लिए ऐसे प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा :

परंतु यह और कि कमीशन स्व:प्रेरणा से समुच्चय के प्रस्तावित समुचित उपांतरों को समुच्चय के पक्षकारों द्वारा विचार कर सकेगा ।" ।

धारा 31 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 31 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "कतिपय" का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (1) में शब्द "ऐसे समुच्चय सहित" का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि आयोग धारा 29 की उपधारा (1ख) के अधीन यथा उपबंधित प्रथमदृष्ट्या कोई राय विरचित नहीं करता है, तो समुच्चय अनुमोदित समझा जाएगा और कोई पृथक् आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी ।";

(घ) उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) जहां कमीशन की किसी प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पर यह राय है कि समुच्चय, यथास्थिति, धारा 29 की उपधारा (7) या धारा 29क की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन पक्षकार या कमीशन द्वारा प्रस्तावित उपांतर निकाला गया है या निकाला जा सकता है, ऐसे उपांतरों के अधीन समुच्चय को अनुमोदित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा किसी समुच्चय को अनुमोदित किया जाता है, ऐसे समुच्चय के पक्षकार आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर ऐसे उपांतर को कार्यान्वित करेंगे ।

(5) जहां—

(क) उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि समुच्चय प्रभावी नहीं होगा; या

(ख) समुच्चय के पक्षकार उपधारा (4) के अधीन आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर उपांतर को कार्यान्वित करने में असफल रहता है; या

(ग) आयोग की यह राय है कि समुच्चय प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने वाला है, जो ऐसे समुच्चय के उचित उपांतर द्वारा निकाला नहीं जा सकता,

किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो अधिरोपित किया जा सकेगा या कोई अभियोजन अधिनियम के अधीन प्रारंभ किया जा सकेगा, आयोग, यथास्थिति, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसा समुच्चय प्रभावी नहीं होगा या शून्य घोषित कर देगा या प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव द्वारा पक्षकारों पर स्कीम को विरचित करेगा ।

(6) यदि आयोग द्वारा यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा दी गई सूचना की तारीख से एक सौ पचास दिन की अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, समुच्चय आयोग द्वारा किया गया समझा जाएगा :

परंतु आयोग आदेश द्वारा एक सौ पचास दिनों से ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जो वह ठीक समझे विस्तारित कर सकेगा, किंतु धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सुसंगत जानकारी देने या सूचना देने में त्रुटि करता है तो ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए समुच्चय अनुरोध के लिए पक्षकारों की दशा में तीस दिनों से अधिक का नहीं होगा ।

(ङ) उपधारा (7), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10), उपधारा (11) और उपधारा (12) का लोप किया जाएगा ।"।

धारा 32 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 32 में, अंक और शब्द "29 और 30" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "29, 29क और 30" रखे जाएंगे ।

धारा 35 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित की जाएगी,—

(क) इस प्रकार संख्यांकित की गई उपधारा (1) में, "व्यक्ति या उद्यम" शब्दों के स्थान पर, "पक्षकार" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) इस प्रकार संख्यांकित की गई उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति या उद्यम या पक्षकार अर्थशास्त्र, वाणिज्य, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या किसी अन्य विधा से इस मामले से संबंधित किसी विशेषज्ञ की राय को

उपलब्ध कराने के लिए इन क्षेत्रों से विशेषज्ञ को बुला सकेगा ।"।

धारा 41 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 41 में,—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पक्षकार के कर्मचारियों और अभिकर्ताओं से भिन्न सभी अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा जो अन्वेषण के अधीन कार्य कर रहे हैं—

(क) पक्षकार से संबंधित सभी सूचना, पुस्तकें, कागज-पत्र, अन्य दस्तावेज और अभिलेख संरक्षित करना और प्रस्तुत करना, इस निमित्त महानिदेशक या किसी प्राधिकृत व्यक्ति की अभिरक्षा या शक्ति में रखा गया है ; और

(ख) महानिदेशक को अन्वेषण के संबंध में सभी सहायता देना ।"।

(4) महानिदेशक, उपधारा (3) में निर्दिष्ट पक्षकार से भिन्न किसी व्यक्ति से या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति से अपने समक्ष ऐसी जानकारी देने के लिए या ऐसी पुस्तकों, कागज-पत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा, यदि ऐसी जानकारी या ऐसी पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना इसके अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत और आवश्यक है ।

(5) महानिदेशक, 180 दिनों के लिए उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए कोई जानकारी, या पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा और उसके पश्चात् उस व्यक्ति को जिसके निमित्त जानकारी या ऐसी पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे, वापस कर देगा :

परंतु ऐसी जानकारी या ऐसी पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख महानिदेशक द्वारा मंगाया जा सकेगा, यदि वह लिखित में आदेश द्वारा 180 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए पुन: आवश्यक समझते हैं:

परंतु यह और कि महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी या ऐसी पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रति, जो लागू हो, पक्षकार या व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसके निमित्त सूचना, पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख स्वयं अपने खर्च पर प्रस्तुत किए गए हैं ।

(6) महानिदेशक शपथ पर परीक्षा कर सकेगा—

(क) अन्वेषण कर रहे पक्षकार के कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी और अभिकर्ता; और

(ख) आयोग से पूर्व अनुमोदन के साथ कोई अन्य व्यक्ति,

पक्षकार के कार्यों के संबंध में जो अन्वेषण कर रहे हैं और उनके लिए तथा तदनुसार शपथ पर प्रशासन कर सकेंगे कि व्यक्तिगत रूप से उसके

समक्ष उपस्थित होने के लिए उन व्यक्तियों की कोई अपेक्षा हो सकेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन कोई परीक्षा लिखित में ली जाएगी और परीक्षा किए गए व्यक्ति द्वारा उसे पढ़ा जाएगा और उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा तथा उसके पश्चात् उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयुक्त किया जा सकेगा ।

(8) जहां अन्वेषण के दौरान, महानिदेशक के पास विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि सूचना, पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख, या इससे संबंधित कोई पक्षकार या व्यक्ति नष्ट,विकृत, परिवर्तित, मिथ्याकरण या गुप्त रख सकेगा, महानिदेशक ऐसी सूचना, पुस्तक, कागजपत्र अन्य दस्तावेज या अभिलेख के अभिग्रहण के किसी आदेश के लिए मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली को आवेदन कर सकेगा ।

(9) महानिदेशक, उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसको सहायता देने के लिए, केंद्रीय सरकार के किसी पुलिस अधिकारी या किसी अधिकारी की सेवाओं के लिए अध्यपेक्षा कर सकेगा और प्रत्येक ऐसे अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे अध्यपेक्षाओं का पालन करें ।

(10) मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली, आवेदन पर विचार करने और महानिदेशक को सुनने के पश्चात्, आदेश द्वारा महानिदेशक को प्राधिकृत कर सकेगा—

(क) ऐसी सहायता के साथ जो अपेक्षित है ऐसे स्थान या स्थानों पर जहां ऐसी सूचना, पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख रखे गए हैं, प्रवेश करने के लिए;

(ख) ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट रीति में स्थान और स्थानों की तलाशी करने के लिए; और

(ग) अन्वेषण के प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक समझता है, सूचना, पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख को अभिग्रहण करने के लिए :

परंतु अभिग्रहण की गई, यथास्थिति, सूचना, पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रति पक्षकार या व्यक्ति को उपलब्ध कराई जा सकेगी जो स्थान या स्थानों पर ऐसे दस्तावेज को इसके खर्च पर अभिग्रहण किया गया है ।

(11) महानिदेशक, इस धारा के अधीन अभिग्रहण की गई ऐसी सूचना, पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख ऐसी अवधि के लिए जो अन्वेषण की समाप्ति से अधिक की नहीं होगी जो वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् उस पक्षकार या व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी जिसकी अभिरक्षा या शक्ति से अभिगृहीत किए गए थे और ऐसी वापिसी की जानकारी मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को दी जाएगी :

परंतु महानिदेशक ऐसी जानकारी या ऐसी पुस्तक, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख को वापस करने से पूर्व उसकी प्रतियां रखेगा या

उसका उद्धहरण या उसका स्थान पहचान चिन्ह या उसका कोई भाग की प्रति रखेगा ।

(12) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी और अभिग्रहण उस संहिता के अधीन किए गए तलाशी या अभिग्रहण से संबंधित, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसरण में कार्यान्वित किया जाएगा 1974 का 2

(ख) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी व्यक्ति के संबंध में "अभिकर्ता" से ऐसे व्यक्ति के लिए या ऐसे व्यक्ति के निमित्त कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है या कार्य करने के लिए तात्पर्यित है, और ऐसे व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षक के रूप में बैंककार और विधिक सलाहकार और नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) किसी कंपनी या निगम निकाय के संबंध में "अधिकारी" से निगम निकाय या ऐसी कंपनी के डिबेंचर धारकों के लिए कोई न्यासी अभिप्रेत है;

(ग) अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या अभिकर्ताओं के प्रति कोई निर्देश यथास्थिति, पूर्व या वर्तमान अधिकारी और अन्य कर्मचारी या अभिकर्ता के निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।'।

धारा 42 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 42 में, —

(क) उपधारा (2) में शब्द, अंक और अक्षर "अधिनियम की धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 42(क) औरा धारा 45(क), वह जुर्माने से दंडित होगा" के स्थान पर "अधिनियम की धारा 6, धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 42(क), धारा 43क, धारा 44 और धारा 45, वह शास्ति के लिए दायी होगा" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित जुर्माने का संदाय" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित शास्ति का संदाय" शब्द, कोष्ठ और अंक रखे जाएंगे ;

धारा 42क का संशोधन

28. मूल अधिनियम की धारा 42क में, शब्द और अंक "धारा 27 के अधीन" के स्थान पर "धारा 6 और 27 के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 43 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 43 में, शब्द "जुर्माने से दंडित होगा" के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 43क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 43क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

समुच्चय के जानकारी को अकृत्य करने के लिए शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

"43क. यदि कोई व्यक्ति या उद्यम धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन आयोग को सूचना देने में असफल रहता है या धारा 6 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है या धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन किसी जांच के अनुसरण में जानकारी प्रस्तुत करता है, आयोग ऐसे व्यक्ति या उद्यम पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो कुल व्यापारावर्त या आस्तियों का एक प्रतिशत तक विस्तारित हो सकेगा या धारा 5 के खंड (घ) में निर्दिष्ट संव्यवहार के मूल्य के अनुसार हो सकेगा, ऐसे समुच्चय में जो भी अधिक हो :

परंतु किसी व्यक्ति या उद्यम के मामले में धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन कोई सूचना दी गई है और ऐसी सूचना धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन प्रारंभत: शून्य पाई गई है, समुच्चय के अर्जनकर्ता या पक्षकारों द्वारा दी जा सके, जो भी लागू हो उस धारा की उपधारा (6) के अधीन आयोग के आदेश के तीस दिन की अवधि के भीतर और ऐसी तीस दिनों की अवधि की समाप्ति तक आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

धारा 44 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 44 में, खंड (ख) में शब्द "एक करोड़ रूपये" के स्थान पर "पांच करोड़ रूपये" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 45 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 45 में,—

(क) पार्श्वशीर्ष में, शब्द "अपराध" के स्थान पर "उल्लंघन" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) में,—

(i) "धारा 44" शब्द और अंक के स्थान पर "धारा 6 की उपधारा (6) और धारा 44" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) शब्द "जुर्माने से दंडनीय" के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 46 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 46 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

लघु शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

"46. (1) आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यापार संघ में सम्मिलित किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता ने, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने धारा 3 का अतिक्रमण किया है, अभिकथित अतिक्रमणकी बाबत पूर्ण सत्य प्रकटन किया है, और ऐसा प्रकटन महत्पूर्ण है, ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता पर इस अधिनियम के अधीन उस समय या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन अद्ग्रणीय शास्ति से लघु ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु आयोग द्वारा ऐसे मामलों में लघु शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी जिनमें ऐसा प्रकटन करने से पूर्व धारा 26 के अधीन निदेशित अन्वेषण की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है:

परंतु यह और कि आयोग द्वारा व्यापार संघ में सम्मिलित ऐसे किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता की बाबत जिसने इस धारा के अधीन पूर्ण, सत्य और महत्वपूर्ण प्रकटन किया है लघु शास्ति

अधिरोपित की जाएगी :

परंतु यह भी कि आयोग द्वारा लघु शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी यदि प्रकटन करने वाला व्यक्ति आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के पूरा होने तक आयोग का सहयोग करना जारी नहीं रखता है :

परंतु यह भी कि आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यापार संघ में सम्मिलित ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता ने,—

(क) कार्यवाहियों के दौरान उस शर्त का पालन नहीं किया था, जिस पर आयोग द्वारा लघु शास्ति, अधिरोपित की गई थी; या

(ख) उसने मिथ्या साक्ष्य दिया था ; या

(ग) किया गया प्रकटन महत्वपूर्ण नहीं है,

और तदुपरांत ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता का ऐसे उल्लंघन के लिए विचारण किया जा सकेगा, जिसकी बाबत लघु शास्ति अधिरोपित की गई थी और वह ऐसी शास्ति अधिरोपित किए जाने का भी दायी होगा जिसके लिये यदि लघु शास्ति अधिरोपित नहीं की गई होती, तो वह दायी होता ।

(2) आयोग किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता जिसमें व्यापार संघ भी सम्मिलित है इस धारा के अधीन लघु शास्ति के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, आवेदन वापस कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक और आयोग इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसकी स्वीकृति के सिवाय, लघु शास्ति के लिए उसके आवेदन में किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किसी साक्ष्य को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिए हकदार होगा ।

(4) अन्वेषण के दौरान जहां कोई ऐसे उत्पादक, विक्रता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता ने जो उपधारा (1) के अधीन किसी व्यापार संघ को प्रकटित किया है अन्य व्यापार संघ की बाबत जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने धारा 3 का अतिलंघन किया है जो धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम दृष्टया प्ररूप को आयोग असमर्थ बनाता है, तब नए प्रकटित व्यापार संघ के संबंध में उपधारा (1) के अधीन लघु शास्ति अभिप्राप्त करने वाले उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पहले ही अन्वेषण किए गए व्यापार संघ की बाबत आयोग ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी, क्रेता या सेवा प्रदाता पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिरोपित कर सकेगा ।"।

धारा 47 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 47 के स्थान पर "शास्तियों" शब्द के पश्चात् "आयोग द्वारा विधिक लागत की वसूली" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 48 के स्थान पर नई धाराओं का अंतःस्थापन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 48 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

कंपनियों द्वारा उल्लंघन ।

'48 (1) जहां इस अधिनियम या उसके द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, आदेश या जारी किए गए निदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कंपनी है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन किए जाने के समय कंपनी के कारबार संचालन के लिए कंपनी भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया समझा जाएगा और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आयोग ऐसे व्यक्ति पर ऐसी शास्ति, जो वह ठीक समझे पिछले तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए आय की औसत का दस प्रतिशत से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा:

परंतु धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी करार की दशा में किसी व्यापार संघ द्वारा की गई कार्रवाई इस अधिनियम में अन्यता उपबंधित के सिवाय आयोग उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर ऐसी संविदा के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए आय की दस प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात व्यक्ति के किसी शास्ति का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी सम्यक सावधानी बरती थी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, वहां इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, आदेश या जारी किए गए निदेश के किसी उपबंध का कोई उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो गया है कि ऐसा उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से हुआ है या उनकी ओर से जानबूझकर की गई किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आयोग ऐसे व्यक्ति पर ऐसी शास्ति जो वह ठीक समझे पिछले तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए आय की औसत का दस प्रतिशत से अधिक न हो अधिरोपित कर सकेगा:

परंतु धारा 3 की किसी उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी करार की दशा में व्यापार संघ द्वारा की गई कार्रवाई इस अधिनियम में अन्यथा उपबंध के सिवाय आयोग ऐसे व्यक्ति पर ऐसी संविदा के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए जो वह ठीक समझे आय की दस प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" में कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ;

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है;

(ग) व्यक्ति के संबंध में "आय" ऐसी रीति में अवधारित होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

परिनिर्धारण ।

48क. (1) कोई ऐसा उद्यम, जिसके विरुद्ध धारा 3 की उपधारा (4) या धारा 4 के उल्लंघन के लिए धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच आरंभ की जानी है तो अभिकथित उल्लंघनों के लिए आरंभ की गई कार्यवाही का परिनिर्धारण करने के लिए आयोग को ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक को रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी समय किंतु धारा 27 या धारा 28 के अधीन कोई आदेश पारित करने के ऐसे समय से पहले जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए कोई आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) आयोग, उल्लंघनों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात् आवेदक द्वारा ऐसे रकम की संदाय पर, या परिनिर्धारण और मानीटरी के कार्यान्यवन के ऐसे अन्य निबंधन और रीति पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, परिनिर्धारण के प्रस्ताव पर सहमत होगा ।

(4) परिनिर्धारण पर विचार करते समय आयोग, पक्षकार या पक्षकारों को, महानिदेशक को या किसी अन्य पक्षकार को, अपनी आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध करेगा ।

(5) यदि आयोग की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन परिनिर्धारण प्रस्थापना, परिस्थितियों में समुचित नहीं है या यदि आयोग और संबद्ध पक्षकार या पक्षकारों ऐसे समय के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं परिनिर्धारण के निबंधनों पर करार नहीं किया जाता है, तो यह आदेश द्वारा धारा 26 के अधीन उसकी जांच सहित परिनिर्धारण आवेदन और कार्यवाहियां रद्द कर दी जाएगीं ।

(6) इस धारा के अधीन परिनिर्धारण की कार्यवाहियों के संचयन करने के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(7) इस धारा के अधीन आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 53ख के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।

(8) सभी परिनिर्धारण रकम इस अधिनियम के अधीन विधिक लागत, वसूली को छोड़कर भारत की संचित निधि से जमा होगी ।

प्रतिबद्धता ।

48ख. (1) कोई ऐसा उद्यम जिसके विरुद्ध, यथास्थिति, धारा 3 की उपधारा (4) या धारा 4 के उल्लंघन के लिए धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच आरंभ की जाती है तो आयोग ऐसी रीति में और ऐसी फीस की संदाय पर, जो विनियमों द्वरा विनिर्दिष्ट किया जाए धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन आयोग आदेश में वर्णित अभिकथित उल्लंघनों की बाबत टीका-टिप्पणियों का प्रस्ताव करते हुए लिखित में आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन टीका-टिप्पणियों के लिए कोई प्रस्ताव धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा पारित किए गए आदेश के पश्चात् किसी भी समय किंतु धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक की रिपोर्ट को पक्षकार द्वारा प्राप्त किए जाने से पहले किसी भी समय के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) आयोग, प्रस्तावित टीका-टिप्पणियों की प्रकृति, गंभीरता तथाकथित उल्लंघनों और प्रभाविता के समाघात पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निबंधनों

तथा कार्यान्वयन और मानीटरी की रीति पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रस्थापित टीका-टिप्पणियों को स्वीकार करेगा ।

(4) परिनिर्धारण पर विचार करते समय आयोग, संबद्ध पक्षकार या पक्षकारों को, महानिदेशक को या किसी अन्य पक्षकार को, अपनी आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध करेगा ।

(5) यदि आयोग की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित टीका-टिप्पणियां, परिस्थितियों में समुचित नहीं है या यदि आयोग और संबद्ध पक्षकार या पक्षकारों, ऐसे समय के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं टीका-टिप्पणियों के निबंधनों पर करार नहीं किया जाता है, तो इस आदेश द्वारा धारा 26 के अधीन उसकी जांच सहित टीका-टिप्पण के आवेदन और कार्यवाहियां रद्द कर दी जाएगीं ।

(6) इस धारा के अधीन प्रस्तावित टीका-टिप्पणियों के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(7) इस धारा के अधीन आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 53ख के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।

परिनिर्धारण या सुपुर्दगी आदेश और शास्ति का प्रतिसंहरण ।

48ग. यदि आवेदक धारा 48क या धारा 48ख के अधीन पारित आदेश का पालन करने में असमर्थ है या यदि आयोग की जानकारी में है कि आवेदक पूरा और सच्चा प्रकटीकरण नहीं किया है या जहां तथ्यों में सारवान परिवर्तन किया है, यथास्थिति, धारा 48क या धारा 48ख के अधीन पारित आदेश को प्रतिसंहृत करेगा और वापस लेगा और ऐसा उद्यम आयोग द्वारा उपगत समुचित विधिक लागत को, जो एक करोड़ रूपए तक हो सकेगा संदाय करने के लिए हकदार होगा और धारा 48क और धारा 48ख के अधीन ऐसे आदेश की बाबत जिसे आयोग पारित किया था, जांच का प्रत्यावर्तन या प्रारंभ कर सकेगा ।'

धारा 49 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (3) में "प्रतिस्पर्धा समर्थन" शब्दों के पश्चात् "या संस्कृति" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।

धारा 51 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 51 के उपधारा (1) में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्त्रोतों में प्राप्त ऐसी सभी राशियां जो सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं ।"।

धारा 53क का संशोधन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 53क में उपधारा (1) के खंड (क) में "धारा 26 की उपधारा (2) और उपधारा (6)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 6 की उपधारा (6), धारा 26 की उपधारा (2) (2क), (6) और (9)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 53ख का संशोधन ।

39. धारा 53ख के उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपील, जिसे आयोग के आदेश के अनुसार किसी रकम का संदाय करना अपेक्षित है, अपील अधिकरण द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी ने उस रकम की ऐसी रीति में, जो अपील अधिकरण द्वारा निदेशित किया जाए, पच्चीस प्रतिशत जमा नहीं कर देता है ।"।

धारा 53ढ का संशोधन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 53ढ में,—

(क) उपधारा (1) में, "धारा 53थ की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 53थ की उपधारा (2) के अधीन या धारा 53न के अधीन अपील अधिकरण के निष्कर्षों के विरुद्ध कोई अपील उच्चतम न्यायालय के आदेशों" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे:

(ख) उपधारा (2) में "आयोग के निष्कर्ष" शब्दों के पश्चात्"या अपील अधिकरण या उच्चतम न्यायालय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (क) में, "पश्चात् ही" शब्दों के पश्चात् "या धारा 53 न के अधीन उच्चतम न्यायालय पर अपील" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "या अपील अधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या उच्चतम न्यायालय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 53थ का संशोधन ।

41. मूल अधिनियम की धारा 53थ में उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त आधार के, अपील अधिकरण के किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो, वह धारा 53प के अधीन अवमानना कार्यवाही का दायी होगा ।"।

नई धारा 59क का अंतःस्थापन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 59 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय अपराधों का प्रशमन ।

"59क. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध केवल कारावास से या कारावास से और साथ ही जुर्माने से दंडनीय कोई अपराध न करने वाला या तो किसी कार्यवाही के संस्थान से पहले या उसके पश्चात् ऐसी कार्यवाही जो अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष लंबित है, द्वारा प्रशमन किया जाएगा ।"। 1974 का 2

धारा 63 का संशोधन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) को उसके खंड (कङ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (कङ) से पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) धारा 5 के परंतुक के अधीन खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित से भिन्न मानदंड की पूर्ति ;

(कख) धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन भारत में अर्जित, नियंत्रित, विलीन या समामेलित उद्यम की आस्तियों और आवर्तन का मूल्य ;

(कग) धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन छब्बीस प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकारों का प्रतिशत ;

(कघ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन संयोजन के मानदंड ;";

(ii) खंड (ङच) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङछ) धारा 64ख की उपधारा (5) के अधीन, मार्गदर्शन को प्रकाशित करने के लिए प्ररूप ;';

धारा 64 का संशोधन ।

44. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ग) के स्थान पर,निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) धारा 5 के खंड (घ) के अधीन भारत में सारवान कारबार संक्रियाओं के अवधारण की रीति ;

(गक) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन संयोजन के लिए सूचना हेतु प्ररूप और फीस ;

(गख) धारा 6क के खंड (क) के अधीन अर्जन की सूचना फाइल करने का समय और रीति ;

(गग) ऐसी रीति और परिस्थितियों में अर्जनकर्ता स्वामित्व या हिताधिकारी अधिकार अथवा शेयरों या संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियां, जिसमें मतदान अधिकार और लाभांशों की प्राप्ति या कोई अन्य वितरण, जो धारा 6क के खंड (ख) के अधीन अपवाद के रूप में शामिल है, हित का प्रयोग करेगा ।"।

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(चक) ऐसे अन्य ब्यौरे जो धारा 26 की उपधारा (9) के अधीन 'कारण बताओं' नोटिस में विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(चख) धारा 27 के खंड (ख) के स्पष्टीकरण के अधीन आवर्तन या आय अवधारित करने की रीति ;

(चग) वह रीति, जिसमें उपांतरण धारा 29क की उपधारा (2) के अधीन आयोग से संयोजन के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्ताव किए जाए;";

(iii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(छक) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर लघु शास्ति अधिरोपित किया जाए;

(छख) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन लघु शास्ति के लिए आवेदन वापस लेने की रीति और समय;

(छग) धारा 46 की उपधारा (4) के अधीन उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर लघु शास्ति अधिरोपित किया जाए ;

(छघ) धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के अधीन आय अवधारित करने की रीति ;

(छङ) धारा 48क की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस, उपधारा (2) के अधीन समय तथा उपधारा (3) के अधीन कार्यान्वयन और मानीटरी के निबंधन और रीति और उपधारा (6) के अधीन परिनिर्धारण कार्यवाहियां संचालन करने के लिए प्रक्रिया;

(छच) धारा 48ख की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस, उपधारा (2) के अधीन समय तथा उपधारा (3) के अधीन कार्यान्वयन और मानीटरी के निबंधन और रीति और उपधारा (6) के अधीन प्रस्थापित प्रतिबद्धताओं के लिए प्रक्रिया ;

(छछ) धारा 64क के खंड (क) के अधीन जनता से टीका-टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए प्रारूप विनियमों और अवधि के साथ-साथ प्रकाशित किए जाने वाले अन्य ब्यौरे ;"।

नई धारा 64क और 4ख का अंतःस्थापन ।

45. मूल अधिनियम की धारा 64 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

विनियम जारी करने की प्रक्रिया ।

"64क. आयोग धारा 64 के अधीन विनियम बनाते समय निम्नलिखित पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा—

(क) ऐसे अन्य ब्यौरे जो विनियम जारी करने से पूर्व विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेबसाइट और जनता की टीका-टिप्पणियां आंमत्रित करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्ररूप विनियमों के प्रकाशन;

(ख) जनता की टीका-टिप्पणियों पर अपने उत्तर के साधारण वर्णन का प्रकाशन जो विनियमों की अधिसूचना की तारीख के अपश्चात्हो;

(ग) ऐसे विनियम का आवधिक रूप में पुनर्विलोकन:

परंतु यह कि यदि आयोग की यह राय है कि कतिपय विनियम बनाए जाने अपेक्षित हैं या विद्यमान विनियमों लोक हित में अत्यावश्यक रूप से संशोधन किया जाना अपेक्षित है या विनियम की विषय वस्तु एक मात्र रूप से आयोग को आंतरिक कार्यकरण से संबंदित है तो वह ऐसा करने के लिए कारण लेखबद्ध करते हुए इस धारा में कथित उपबंधों का पालन किए बिना, यथास्थिति, विनियम बना सकेगा या विद्यमान विनियमों का संशोधन कर सकेगा ।

आयोग का मार्गदर्शन जारी करना ।

64ख. (1) आयोग इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों पर या तो व्यक्ति द्वारा या अपने स्वप्रेरणा से मार्गदर्शन प्रकाशित कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी मार्गदर्शन आयोग द्वारा उसके सदस्यों और अधिकारियों पर तथ्य या विधि के किसी प्रश्न के अवधारण के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा और न ही उसके सदस्य या अधिकारी आयोग पर बाध्यकारी होंगे ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयोग इस अधिनियम के उपबंध के किसी उल्लंघन के लिए किसी शास्ति की समुचित रकम के बारे में मार्गदर्शन प्रकाशित करेगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबंध के किसी उल्लंघन के लिए धारा 27 के खंड (ख) या धारा 43क या धारा 48 के अधीन शास्ति अधिरोपित करते समय आयोग उपधारा (3) के अधीन मार्गदर्शन पर विचार करेगा और ऐसे मार्गदर्शन से किसी अपयोजन की दशा में उपबंध करेगा ।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन मार्गदर्शन ऐसे प्ररूप में प्रकाशित किया जाएगा जो विहित किया जाए ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को वर्ष, 2002 में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव रखने वाले व्यवहारों का निवारण करने के लिए, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने और बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए और भारत में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जा रहे व्यापार में स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए और उससे उपाबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक आयोग की स्थापना करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. भारतीय बाजारों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और पिछले दशक में जिस प्रकार कारबारों का प्रचालन किया जाता है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है । आर्थिक विकास, विभिन्न कारबार माडलों की उत्पत्ति और आयोग के कार्यकरण में प्राप्त किए गए अनुभव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उक्त अधिनियम की जांच करने और उसमें उपांतरणों का सुझाव देने के लिए एक प्रतिस्पर्धा विधि पुनर्विलोकन समिति का गठन किया । समिति द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों का पुनर्विलोकन करने, लोक परामर्श करने के पश्चात् विनियामक निश्चितता और विश्वास आधारित कारबार वातावरण का उपबंध करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम का संशोधन करना आवश्यक समझा गया ।

3. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 अन्य बातों के साथ निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है, अर्थात :—

(क) स्पष्टता का उपबंध करने के लिए "उद्यम", "सुसंगत उत्पाद बाजार". "समूह", "नियंत्रण" जैसी कतिपय परिभाषाओं में परिवर्तन करने के लिए ;

(ख) प्रतिस्पर्धा विरोधी करारों के कार्यक्षेत्र का विस्तार और ऐसे करारों के अधीन प्रतिस्पर्धा विरोधी क्षैतिज करार को सुकर बनाने वाले पक्षकार को सम्मिलित करने के लिए ;

(ग) संयोजन के अनुमोदन के लिए दो सौ दस दिन की समय-सीमा को कम करके एक सौ पचास दिन करने, संयोजनों के त्वरित अनुमोदन के लिए आयोग द्वारा बीस दिन के भीतर प्रथम दृष्टया मत का उपबंध करने के लिए ;

(घ) आयोग द्वारा संयोजनों को अधिसूचित करने के लिए अन्य मानदंड के रूप में "संव्यवहार का मूल्य" का उपबंध करने के लिए ;

(ङ) प्रतिस्पर्धा विरोधी करारों और प्रभावशाली स्थिति के दुरूपयोग की आयोग के समक्ष सूचना फाइल करने के लिए तीन वर्ष का कालावधि की परिसीमा करने के लिए ;

(च) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से आयोग के महानिदेशक की नियुक्ति करने के लिए ;

(छ) मुकद्दमेबाजी कम करने के लिए समझौता और प्रतिबद्धता ढांचे को आरंभ करने के लिए ;

(ज) अन्य उत्पादक संघों के संबंध में सूचना का प्रकटन करने के लिए कमतर शास्ति के निबंधनों में किसी चालू उत्पादक संघों जांच में पक्षकारों को प्रोत्साहित करने के लिए ;

(झ) ऐसे उपबंध का प्रतिस्थापन, जो अवमानना के उपबंध के साथ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के किसी आदेश के उल्लंघन की दशा में एक करोड़ रूपए या तीन वर्ष का कारावास या दोनों का उपबंध करता है ;

(ञ) मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना जिसके अंतर्गत आयोग द्वारा शास्तियां अधिरोपित करना सम्मिलित हैं ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
28 जुलाई, 2022

निर्मला सीतारामन

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 अधिनियम के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 2 संपूर्ण विधेयक में कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रतिनिर्देश को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रतिनिर्देश से प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 3 'उद्यम', 'सुसंगत उत्पाद बाजार' आदि जैसी अधिनियम की कतिपय परिभाषाओं को संशोधित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 4 अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है जिससे प्रतिस्पर्धा रोधी करारों की परिधि का विस्तार किया जा सके और ऐसे करारों के अधीन किसी प्रतिस्पर्धा रोधी क्षैतिज करार को सुकर बनाने वाले पक्षकार को भी शामिल किया जा सके ।

विधेयक का खंड 5 अधिनियम की धारा 4 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) के स्पष्टीकरण में "विभेदकारी" शब्द का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 6 धारा 5 का संशोधन करने के लिए है, जिससे नए खंड (घ) और खंड (ङ) को अंत:स्थापित किया जा सके ताकि यह उपबंध किया जा सके कि यदि किसी नियंत्रण, शेयरों, मतदान अधिकारों के अर्जन के संबंध में किसी संव्यवहार का मूल्य दो हजार करोड़ रूपए से अधिक होता है तो उससे आयोग के समक्ष समुच्चय की सूचना फाइल करना अपेक्षित होगा और केंद्रीय सरकार को कतिपय संव्यवहारों के लिए अधिनियम के अधीन समुच्चय सूचना फाइल करने की अपेक्षा से छूट देने के लिए सशक्त किया जा सके । यह और व्यापारावर्त, संव्यवहार का मूल्य आदि के पदों को परिभाषित करने के लिए स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 7 अधिनियम की धारा 6 का उपबंध करने के लिए है, ताकि तीस दिन के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके और समुच्चयों के निर्धारण की समग्र समय-सीमा को 210 दिन से कम करके 150 दिन किया जा सके । यह आयोग को पक्षकारों के अतिरिक्त सूचना फाइल करने के या सूचना में त्रुटियों को दूर करने के अनुरोध को पूरा करने के लिए 30 दिन की अधिकतम अवधि के लिए समय-सीमा का विस्तार करने के लिए समर्थ बनाने का उपबंध करता है । यह कतिपय समुच्चयों के लिए पृथक् चैनल बनाने का भी उपबंध करता है, जो अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन सूचना फाइल करने के लिए समझे गए अनुमोदन के लिए पात्र होंगे ।

विधेयक का खंड 8 अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् एक नई धारा 6क अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (2क) में अंतर्विष्ट उपबंध किसी खुले प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से या किसी विनियमित स्टॉक एक्सचेंज से कतिपय शर्तों को प्रभावी होने से संव्यवहारों की किसी श्रृंखला के माध्यम से शेयरों या विभिन्न विक्रेताओं से अन्य प्रतिभूतियों में संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के अर्जन

को प्रभावी करने से नहीं रोकेगी ।

विधेयक का खंड 9 धारा 8 का संशोधन करने के लिए है, जो आयोग की संरचना को निर्दिष्ट करती है ताकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे सदस्यों के लिए अतिरिक्त अर्हता सम्मिलित करके उपधारा (2) का संशोधन किया जा सके ।

विधेयक का खंड 10 अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति की संरचना को निर्दिष्ट करती है और चयन समिति के सदस्यों के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जानकारी और अनुभव रखने के लिए भी है ।

विधेयक का खंड 11 अधिनियम की धारा 12 को प्रतिस्थापित करने के लिए है ताकि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा उनके पद छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी नियोजन को स्वीकार करने को निर्बंधित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 12 अधिनियम की धारा 16 का संशोधन करने के लिए है ताकि आयोग को केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से महानिदेशक नियुक्त करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 13 अधिनियम की धारा 18 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे आयोग को प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों का उन्मूलन करने के लिए प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने और बनाए रखने, उपभोक्ता के हितों की संरक्षा करने के लिए सरकार के विभागों या कानूनी निकायों के साथ ज्ञापन या करार करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का खंड 14 अधिनियम की धारा 19 का संशोधन करने के लिए है ताकि आयोग हेतुक उपदर्शित करने की तारीख से तीन वर्ष से परे कोई सूचना या निर्देश ग्रहण नहीं करेगा । तथापि, आयोग विलंब को माफ कर सकेगा यदि पक्षकारों द्वारा दिए गए कारणों से उसका समाधान हो जाता है ।

विधेयक का खंड 15 "समुच्चय" पद को "संक्रेंद्रण" पद से प्रतिस्थापित करने के लिए और संव्यवहार का मूल्य अंत:स्थापित करने के लिए धारा 20 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 16 अधिनियम की धारा 21 का संशोधन करने के लिए है ताकि उन आधारों का विस्तार किया जा सके, जिन पर कानूनी प्राधिकारी स्वप्रेरणा से आयोग को निर्देश कर सके ।

विधेयक का खंड 17 अधिनियम की धारा 21क का संशोधन करने के लिए है ताकि कानूनी प्राधिकारी आयोग को किसी मुद्दे पर स्वप्रेरणा से निदेश कर सके, जिसमें अधिनियम का उपबंध या इस अधिनियम के उद्देश्यों को संवर्धित करने से संबंधित कोई मुद्दा अंतर्वलित है ।

विधेयक का खंड 18 अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय निर्देशों का लोप करता है ।

विधेयक का खंड 19 अधिनियम की धारा 26 का संशोधन करने के लिए है, जो

आयोग को कतिपय मामलों को बंद करने के लिए किसी जांच के बिना आदेश पारित करने के लिए ; मामले का अन्वेषण करने के लिए महानिदेशक को निदेश देने के लिए और इस संबंध में कोई आदेश पारित करने के लिए आयोग को समर्थ बनाने के लिए अपने निष्कर्षों की एक अनुपूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समर्थ बनाता है ।

विधेयक का खंड 20 अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है, जो आयोग को गैर-प्रतिस्पर्धा करारों और आय के लिए निर्देश को अंत:स्थापित करते हुए अधिष्ठायी स्थिति के दुरुपयोग के संबंध में आदेश पारित करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 21 अधिनियम की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है, जो यह उपबंध करती है कि आयोग धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर अपने प्रथमदृष्ट्या राय बनाएगा और 210 दिनों के बजाय 150 दिनों के भीतर अन्वेषण पूर्ण करने की अवधि को और घटाएगा ।

विधेयक का खंड 22 एक नई धारा 29क अंत:स्थापित करने के लिए है, जो आयोग द्वारा आक्षेपों का विवरण जारी करने के लिए और उपांतरणों के प्रस्ताव के लिए है ।

विधेयक का खंड 23 अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है, जो "कतिपय" शब्द का लोप करने के लिए और यह उपबंध करने के लिए है कि यदि आयोग धारा 29 की धारा 1ख के अधीन यथा उपबंधित 20 दिनों के भीतर प्रथमदृष्ट्या कोई राय विरचित नहीं करता है तो समुच्चय अनुमोदित समझा जाएगा और कोई पृथक् आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

विधेयक का खंड 24 अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है, जो उसमें धारा 29क का निर्देश करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 25 अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जो अर्थशास्त्र, वाणिज्य, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या किसी अन्य विधा से इस मामले से संबंधित किसी विशेषज्ञ की राय को उपलब्ध कराने के लिए आयोग के समक्ष इन क्षेत्रों से विशेषज्ञ को बुलाने के लिए किसी पक्षकार को समर्थ बनाने हेतु उपधारा (2) को अंत:स्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 26 अधिनियम की धारा 41 का संशोधन करने के लिए है, जो अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन पर अन्वेषण करने के लिए महानिदेशक को अन्वेषण, जांच, इत्यादि की प्रक्रिया और शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 27 अधिनियम की धारा 42 का संशोधन करने के लिए है, जो "जुर्माने से दंडित होगा", शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों को रखने के लिए है और अधिनियम की धारा 6, धारा 43, धारा 44 और धारा 45 के निर्देश को करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 28 अधिनियम की धारा 42क का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 6 का निर्देश करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 29 अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है, जो "जुर्माने से दंडित होगा", शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों को रखने के लिए है ।

विधेयक का खंड 30 अधिनियम की धारा 43क का संशोधन करने के लिए है, जो आयोग को समुच्चय के संबंध में जानकारी को अकृत्य करने के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त करने हेतु है ।

विधेयक का खंड 31 अधिनियम की धारा 44 का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति को एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए करती है ।

विधेयक का खंड 32 अधिनियम की धारा 45 का संशोधन करने के लिए है, जो "अपराध" शब्द के स्थान पर, "उल्लंघन" शब्द को रखने के लिए है और धारा 6 की उपधारा (6) का निर्देश करने के लिए तथा "जुर्माने से दंडित होगा", शब्दों के स्थान पर "शास्ति के लिए दायी होगा" शब्दों को रखने के लिए है ।

विधेयक का खंड 33, अधिनियम की धारा 46 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो आयोग को लघु शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त करती है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

विधेयक का खंड 34, अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है, जो आयोग को शास्ति के अतिरिक्त विधिक लागत की वसूली के लिए सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 35, अधिनियम की धारा 48 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो अधिनियम, नियमों, विनियमों, आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन या तदधीन जारी या किए गए निदेशों का कंपनी द्वारा किए गए उल्लंघन की दशा में व्यक्ति के दायित्व के लिए, ऐसी शास्ति और कतिपय अन्य उपबंध, जो पिछले तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए आय की औसत का दस प्रतिशत से अधिक न हो, उपबंध करता है । परिनिर्धारण, प्रतिबद्धता, आदेश और उसके प्रतिसंहरण सहित विधिक लागत की वसूली के संबंध में विभिन्न उपबंधों का उपबंध करने के लिए नई धारा 48क, धारा 48ख और धारा 48ग के अंत:स्थापन के लिए भी है ।

विधेयक का खंड 36, अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिस्पर्धा समर्थन के आधार की व्यापकता के उद्देश्य से "प्रतिस्पर्धा समर्थन" शब्दों के पश्चात्, "या संस्कृति" शब्द अंत:स्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 37, अधिनियम की धारा 51 का, उसकी उपधारा (1) में एक नया खंड (ङ) अंत:स्थापित करके, संशोधन करने के लिए है, जिससे आयोग, ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त ऐसी सभी राशियां, जो सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं, प्राप्त कर सके ।

विधेयक का खंड 38, धारा 26 की कतिपय उपधाराओं का संदर्भ देने के लिए, अधिनियम की धारा 53 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 39, अधिनियम की धारा 53ख का, उपधारा (2) में एक परंतुक अंत:स्थापित करके, संशोधन करने के लिए है, जिससे अपील अधिकरण को, जब तक आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम के पच्चीस प्रतिशत का निक्षेप अपीलार्थी

द्वारा नहीं कर दिया जाता है, अपील स्वीकार नहीं किए जाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 40, अधिनियम की धारा 53ढ का संशोधन करने के लिए है, जिससे अधिनियम की धारा 53न के अधीन अपील अधिकरण के निष्कर्षों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के आदेशों में प्रतिकर के लिए आवेदन किया जा सके ।

विधेयक का खंड 41, अधिनियम की धारा 53थ का संशोधन करने के लिए है, जिससे यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपील अधिकरण के किसी आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो धारा 53प के अधीन अवसान कार्यवाहियों का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 42, अधिनियम में एक नई धारा 59क अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध केवल कारावास से या कारावास से और साथ ही जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध का प्रशमन किया जा सके ।

विधेयक का खंड 43, अधिनियम की धारा 63 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने के प्रयोजन के लिए कतिपय उपबंधों का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 44, अधिनियम की धारा 64 का संशोधन करने के लिए है, जिससे आयोग द्वारा विनियम बनाने के प्रयोजन के लिए कतिपय उपबंधों का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 45, नई धारा 64क और धारा 64ख अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे विनियम और मार्गदर्शन जारी करने की प्रक्रिया के लिए उपबंध किया जा सके ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक में भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 43 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 का संशोधन करने के लिए है । यह खंड केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । ऐसे नियम अन्य बातों के साथ, (i) धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन भारत में अर्जित, नियंत्रित, विलयन या समामेलित किए जाने वाले उद्यमों की आस्तियों या आवर्त के मूल्य; (ii) धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन 26 प्रतिशत से अधिक के मताधिकार के प्रतिशत; (iii) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन संयोजन के लिए मानदंड; (iv) धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन मानदंड; (v) धारा 64ख की उपधारा (5) के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रकाशन के लिए प्ररूप, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 44 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 का संशोधन करने के लिए है । यह खंड भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए विधेयक और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है । ऐसे विनियम, अन्य बातों के साथ (i) धारा 5 के खंड (घ) के अधीन भारत में सारवान कारबार संक्रियाओं के अवधारण की रीति; (ii) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन संयोजन के लिए सूचना हेतु प्ररुप और फीस; (iii) धारा 6क के खंड (क) के अधीन अर्जन की सूचना फाइल करने का समय और रीति; (iv) ऐसी रीति और परिस्थितियां, जिनमें अर्जनकर्ता स्वामित्व या हिताधिकारी अधिकार अथवा शेयरों या संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियां, जिसमें मतदान अधिकार और लाभांशों की प्राप्ति या कोई अन्य वितरण, जो धारा 6क के खंड (ख) के अधीन अपवाद के रूप में शामिल है, हित का प्रयोग करेगा; (v) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो धारा 26 की उपधारा (9) के अधीन 'कारण बताओं' नोटिस में विनिर्दिष्ट किए जाएं; (vi) धारा 27 के खंड (ख) के स्पष्टीकरण के अधीन आवर्त या आय अवधारित करने की रीति; (vii) वह रीति, जिसमें उपांतरण धारा 29क की उपधारा (2) के अधीन आयोग से संयोजन के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्ताव किए जाए; (viii) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर अधिरोपित की जाने वाली लघु शास्ति; (ix) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन लघु शास्ति के लिए आवेदन वापस लेने की रीति और समय; (x) धारा 46 की उपधारा (4) के अधीन उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर अधिरोपित की जाने वाली लघु शास्ति; (xi) धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के अधीन आय अवधारित करने की रीति; (xii) धारा 48क की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस, उपधारा (2) के अधीन समय तथा उपधारा (3) के अधीन कार्यान्वयन और मानीटरी के निबंधन और रीति और उपधारा (6) के अधीन परिनिर्धारण कार्यवाहियां संचालन करने के लिए प्रक्रिया; (xiii) धारा 48ख की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस, उपधारा (2) के अधीन समय तथा उपधारा (3) के अधीन कार्यान्वयन और मानीटरी के निबंधन और रीति और उपधारा (6) के अधीन प्रस्थापित प्रतिबद्धताओं के लिए प्रक्रिया; (xiv) धारा 64क के खंड (क) के अधीन जनता से टीका टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए प्रारुप विनियमों और अवधि के साथ-साथ प्रकाशित

किए जाने वाले अन्य ब्यौरे, का उपबंध करता है ।

प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित होगा ।

वे विषय जिनके संबंध में ऊपर उल्लिखित नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और इस प्रकार प्रस्तावित विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 12) से उद्धरण

* * * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

* * * * * *

(ज) "उद्यम" से ऐसा कोई व्यक्ति या सरकार का विभाग अभिप्रेत है जो वस्तुओं या मालों के उत्पादन, भंडारण, प्रदाय, वितरण, अर्जन या नियंत्रण या किसी प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था करने से संबंधित किसी क्रियाकलाप में, या किसी अन्य निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, हामीदारी या संव्यहार के कारबार में या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसकी एक या अधिक इकाइयों या प्रभागों या समनुषंगियों के माध्यम से लगा हुआ है, या लगा रहा है, चाहे ऐसी इकाई या प्रभाग या समनुषंगी उसी स्थान पर स्थित हो जहां उद्यम स्थित है या किसी भिन्न स्थान या भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित हो, किंतु इसके अंतर्गत सरकार का कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं आता है जो सरकार के संप्रभु कृत्यों जिनके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा, करेंसी, रक्षा तथा अंतरिक्ष से संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप भी हैं, से संबंधित हैं ।

* * * * * *

(ठ) "व्यक्ति" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

* * * * * *

(vi) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी ; 1956 का 1

* * * * * *

(त) "लोक वित्तीय संस्था" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में विनिर्दिष्ट कोई लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई राज्य वित्तीय, औद्योगिक या विनिधान निगम भी है; 1956 का 1

* * * * * *

(न) "सुसंगत उत्पाद बाजार" से ऐसा बाजार अभिप्रेत है जो ऐसे सभी उत्पादों या सेवाओं से मिलकर बना है जो उत्पादों और सेवाओं की विशिष्टताओं, उनकी कीमत और आशयित उपयोग के कारण उपभोक्ता द्वारा अन्तर्निमेय या प्रतिस्थापनीय मानी जाती हैं;

* * * * * *

अध्याय 2

कतिपय करारों, प्रधान स्थिति के दुरूपयोग का प्रतिषेध और समुच्चयों का विनियमन

करारों का प्रतिषेध

प्रतिस्पर्धारोधी करार ।

3. (1) * * * * *

(3) ऐसे उद्यमों या उद्यमों के संगमों या व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के संगमों के बीच या किसी व्यक्ति या उद्यम के बीच किया गया कोई ऐसा करार या किन्हीं उद्यमों के संगम या व्यक्तियों के संगम, जिसमें उत्पादक-संघ भी है, जो तद्रूप या समरूप माल के व्यापार या सेवाओं की व्यवस्था में लगे हुए हैं, द्वारा किया गया कोई ऐसा व्यवहार या विनिश्चय, जो,—

(क) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः क्रय या विक्रय की कीमतों को अवधारित करता है;

(ख) उत्पादन, प्रदाय, बाजार, तकनीकी विकास, विनिधान या सेवाओं की व्यवस्था को परिसीमित या नियंत्रित करता है;

(ग) बाजार का भौगोलिक क्षेत्र या माल सेवाओं का प्रकार या बाजार में ग्राहकों की संख्या या इसी प्रकार से अन्य आबंटन द्वारा बाजार या उत्पादन स्रोतों या सेवा की व्यवस्था में हिस्सेदारी करता है;

(घ) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जिसका परिणाम बोली में धांधली करना या बोली में दुरभिसंधि करना है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि इसका प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात संयुक्त उद्यमों के रूप में किए गए किसी करार को लागू नहीं होगी यदि ऐसे करार से किसी माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, अर्जन या नियंत्रण या सेवाओं के प्रदान करने की दक्षता में वृद्धि होती है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "बोली में भाव बढ़ाना" से उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे उद्यमों या व्यक्तियों के, जो तद्रूप या समरूप माल के उत्पादन या व्यापार में या सेवाओं की व्यवस्था में लगे हुए हैं, बीच ऐसा कोई करार अभिप्रेत है जिनका प्रभाव बोली के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना या कम करना या बोली लगाने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालना या उसे प्रभावित करना हो ।

(4) माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या कीमत के या उसके व्यवसाय के या सेवाओं की व्यवस्था के संबंध में, विभिन्न बाजारों में उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर उद्यमों या व्यक्तियों के बीच कोई करार, जिसके अंतर्गत,—

(क) इंतजाम करने में सहबद्धता;

(ख) अनन्य प्रदाय करार;

(ग) अनन्य वितरण करार;

(घ) संव्यवहार करने से इंकार;

(ङ) पुनः विक्रय कीमत का अनुरक्षण;

भी है, उपधारा (1) के उल्लंघन में करार तब होगा जब ऐसे करार से भारत में प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "इन्तजाम करने में सहबद्धता" के अंतर्गत कोई ऐसा करार भी है, जिसमें माल के किसी क्रेता से, ऐसे क्रय की शर्त के रूप में, कोई अन्य माल क्रय करने की अपेक्षा की गई हो;

(ख) "अनन्य प्रदाय करार" के अंतर्गत कोई ऐसा करार है जो किसी अन्य रीति से क्रेता को, उसके व्यापार के अनुक्रम में, विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति के माल से भिन्न किसी माल का अर्जन करने या उसके साथ अन्यथा संव्यवहार करने से निर्बन्धित करता हो;

(ग) "अनन्य वितरण करार" के अंतर्गत, कोई ऐसा करार भी है, जो किसी माल के उत्पादन या प्रदाय को सीमित, निर्बन्धित या रोकने के लिए या माल के व्ययन अथवा विक्रय के लिए किसी क्षेत्र या बाजार का आबंटन करने के लिए हो;

(घ) "संव्यवहार करने से इंकार" के अंतर्गत, कोई ऐसा करार भी है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को, जिन्हें माल का विक्रय किया जाता है या जिनसे माल क्रय किया जाता है, किसी ढंग से निर्बन्धित किया जाता हो या निर्बन्धित करना संभाव्य हो;

(ङ) "पुनः विक्रय की कीमत का अनुरक्षण" के अंतर्गत इस शर्त पर माल विक्रय करने का कोई करार भी है कि पुनः विक्रय पर क्रेता से प्रभारित की जाने वाली कीमत विक्रेता द्वारा अनुबद्ध कीमत होगी, जब तक कि स्पष्ट रूप से यह कथित न किया गया हो कि उन कीमतों से कम कीमत प्रभारित की जा सकेगी ।

* * * * * *

प्रधानस्थिति के दुरूपयोग का प्रतिषेध

4. (1) * * * * * प्रधानस्थिति का दुरूपयोग ।

(2) उपधारा (1) के अधीन, प्रधानस्थिति का दुरूपयोग होगा, यदि कोई उद्यम या कोई समूह—

(क) (i) माल के क्रय या विक्रय में या सेवा की व्यवस्था में; या

* * * * * *

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (i) में निर्दिष्ट माल के क्रय या विक्रय या सेवा में अनुचित या विभेदकारी शर्त और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट माल के क्रय या विक्रय में अनुचित या विभेदकारी कीमत (स्वार्थचालित कीमत सहित) या सेवा के अंतर्गत ऐसी विभेदकारी शर्त या कीमत नहीं आएगी, जो

प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अंगीकार की जाए; अथवा

* * * * * *

समुच्चयों का विनियमन

समुच्चय ।

5. एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक या अधिक उद्यमों का अर्जन अथवा उद्यमों का विलयन या समामेलन ऐसे उद्यमों और व्यक्तियों का समुच्चय होगा, यदि—

* * * * * *

(ग) कोई विलयन या समामेलन, जिसमें,—

* * * * * *

(ii) उस समूह की, जिसका विलयन के पश्चात् बचा उद्यम या समामेलन के परिणामस्वरूप सृजित उद्यम, यथास्थिति, विलयन या समामेलन के पश्चात् होगा, संयुक्त रूप में—

* * * * * *

(आ) भारत में, या भारत के बाहर कुल मिलाकर दो बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य से अधिक की आस्तियां हैं जिनके अंतर्गत भारत में कम से कम पांच सौ करोड़ रूपए मूल्य की आस्तियां हैं या छह बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के आवर्त हैं, जिसके अंतर्गत भारत में कम से कम पंद्रह सौ करोड़ रूपए मूल्य के आवर्त हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "नियंत्रण" के अन्तर्गत—

(i) एक या अधिक उद्यम द्वारा, संयुक्त रूप से या एकल रूप से, किसी अन्य उद्यम या समूह के;

(ii) एक या अधिक समूह द्वारा, संयुक्त रूप से या एकल रूप से, किसी अन्य समूह या उद्यम के,

कार्यों या प्रबंध का नियंत्रण करना भी है;

(ख) "समूह" से दो या अधिक ऐसे उद्यम अभिप्रेत हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः—

(i) किसी अन्य उद्यम में छब्बीस प्रतिशत या अधिक मत देने के अधिकारों का प्रयोग करने की; या

(ii) किसी अन्य उद्यम में निदेशक बोर्ड के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों की नियुक्ति करने की; या

(iii) किसी अन्य उद्यम के प्रबंध या कार्यों का नियंत्रण करने की,

स्थिति में है;

(ग) आस्तियों के मूल्य का अवधारण उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें प्रस्तावित

विलयन की तारीख आती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उद्यम की संपरीक्षित लेखा बहियों में दर्शित आस्तियों का बही मूल्य लेकर, जिसमें से कोई अवक्षयण घटा दिया जाएगा, किया जाएगा और आस्तियों के मूल्य के अन्तर्गत ब्रांड मूल्य, गुडविल का मूल्य या धारा 3 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्रतिलिप्यधिकार, पेटेंट, अनुज्ञात उपयोग, सामूहिक चिह्न, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न, रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता, श्रुतिसम भौगोलिक उपदर्शन, भौगोलिक उपदर्शन, डिजाइन सा अभिन्यास डिजाइन या समरूप अन्य वाणिज्यिक अधिकारों, यदि कोई हों, का मूल्य भी है ।

6. (1) * * * * * समुच्चयों का विनियमन ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा व्यक्ति या उद्यम, जो किसी समुच्चय में सम्मिलित होने का प्रस्ताव करता है, आयोग को, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, और ऐसी फीस के साथ जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए—

(क) ऐसे उद्यमों के निदेशक बोर्ड द्वारा, जो, यथास्थिति, ऐसे विलयन या समामेलन से संबद्ध है, धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट ऐसे विलयन या समामेलन से संबंधित प्रस्ताव के अनुमोदन के;

(ख) धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट अर्जन या उस धारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट नियंत्रण का अर्जन प्राप्त करने के लिए किसी करार या अन्य दस्तावेज के निष्पादन के,

तीस दिन के भीतर सूचना देगा] जिसमें प्रस्तावित समुच्चय के ब्यौरे प्रकट होंगे ।

(2क) कोई भी समुच्चय तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उस तारीख से, जिसको उपधारा (2) के अधीन आयोग को सूचना दी गई है, दो सौ दस दिन बीत न गए हों या आयोग ने धारा 31 के अधीन आदेश पारित न कर दिया हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) आयोग, उपधारा (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी सूचना का निपटान धारा 29, धारा 30 और धारा 31 के उपबंधों के अनुसार करेगा ।

(4) इस धारा के उपबंध किसी ऋण करार या विनिधान करार की किसी प्रसंविदा के अनुसरण में शेयर अभिधान या वित्तपोषण प्रसुविधा या किसी लोक वित्तीय संस्था, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता, बैंक या जोखिम पूंजी निधि द्वारा किसी अर्जन को लागू नहीं होंगे ।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट लोक वित्तीय संस्था, विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता, बैंक या जोखिम पूंजी निधि, अर्जन की तारीख से सात दिन के भीतर, उस प्ररूप में, जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए, अर्जन के ब्यौरे, जिनके अंतर्गत नियंत्रण के ब्यौरे, ऐसा नियंत्रण करने की परिस्थितियां और, यथास्थिति, ऐसे ऋण करार या विनिधान करार से उद्भूत व्यतिक्रम के परिणामों से संबंधित ब्यौरे भी हैं, आयोग को फाइल करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" पद का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है; 1961 का 43

(ख) "जोखिम पूंजी निधि" का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चख) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में है । 1961 का 43

* * * * * *

आयोग की संरचना ।

8. (1) * * * * *

(2) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य या प्रतिस्पर्धा संबंधी विषयों में, जिनके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा विधि और नीति भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार की राय में आयोग के लिए उपयोगी हों, कम से कम पन्द्रह वर्ष का विशेष ज्ञान और वृतिक अनुभव है ।

* * * * * *

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति ।

9. (1) आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल से की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:—

* * * * * *

(घ) दो ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य या प्रतिस्पर्धा संबंधी विषयों में, जिनके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा विधि और नीति भी हैं, विशेष ज्ञान और वृतिक अनुभव है—सदस्य ।

* * * * * *

कतिपय मामलों में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नियोजन पर निर्बंधन ।

12. अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस तारीख से जिसको उसका पद धारण करना समाप्त हो जाता है, दो वर्षों की अवधि तक ऐसे किसी उद्यम के, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के समक्ष कार्यवाही में कोई पक्षकार रहा है, प्रबंध य प्रशासन में या उससे संबंधित कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी निगम में या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी में किसी नियोजन को लागू नहीं होगी । 1956 का 1

* * * * * *

महानिदेशक आदि की नियुक्ति ।

16. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन की जांच करने में आयोग की सहायता करने के प्रयोजन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन

उपबंधित किए गए हैं या उपबंधित किए जाएं, महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी ।

* * * * * *

अध्याय 4

आयोग के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य

आयोग के कर्तव्य ।

18. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे व्यवहारों को समाप्त करे जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करे और उसे बनाए रखे, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करे और भारत के बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे :

परंतु आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन या अपने कर्तव्यों के पालन के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी विदेशी अभिकरण के साथ कोई ज्ञापन या करार कर सकेगा ।

कतिपय करारों और उद्यम की प्रधान स्थिति की जांच ।

19. (1) आयोग, धारा 3 की उपधारा (1) या धारा 4 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के किसी अभिकथित उल्लंघन के लिए या तो स्वप्रेरणा से या—

(क) किसी व्यक्ति, उपभोक्ता या उनके संगम या व्यापार संगम से ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, प्राप्त किसी जानकारी पर; या

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर,

जांच कर सकेगा ।

* * * * * *

(3) आयोग, यह अवधारित करते समय कि क्या कोई करार धारा 3 के अधीन प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है, निम्नलिखित बातों में से सभी या किसी पर सम्यक् विचार करेगा, अर्थात्:—

* * * * * *

(ग) बाजार में प्रवेश को प्रतिबंधित करके प्रतिस्पर्धा का पुरोबंध;

(घ) उपभोक्ताओं के लिए फायदों का प्रोद्भवन;

* * * * * *

(7) आयोग, "सुसंगत उत्पाद बाजार" का अवधारण करते समय, निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

(क) माल की भौतिक विशेषाएं या उसका अंतिम उपयोग;

* * * * * *

आयोग द्वारा समुच्चय की जांच ।

20. (1) आयोग अपनी स्वयं की जानकारी या धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट अर्जन या धारा 5 के खंड (ख) में निर्दिष्ट नियंत्रण अर्जित करने के लिए या उस धारा के खंड (ग) में निर्दिष्ट विलयन या समामेलन के संबंध में सूचना पर यह जांच कर सकेगा

कि क्या ऐसे समुच्चय से भारत में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है :

परन्तु आयोग इस उपधारा के अधीन उस तारीख से जिससे ऐसा समुच्चय प्रभाव में आया है, एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई जांच प्रारंभ नहीं करेगा ।

* * * * * *

(3) धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर और तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष में आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक या रूपए या विदेशी करेंसी की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के आधार पर उस धारा के प्रयोजनों के लिए आस्तियों के मूल्य या व्यापारावर्त के मूल्य में वृद्धि या कमी करेगी ।

(4) आयोग यह अवधारणा करने के प्रयोजन के लिए कि क्या सुसंगत बाजार में प्रतिस्पर्धा पर कोई समुच्चय पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव रखेगा या उसके ऐसा प्रभाव रखने की संभावना है, निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

* * * * * *

(ग) बाजार में समुच्चय का स्तर;

* * * * * *

कानूनी प्राधिकारी द्वारा निर्देश ।

21. (1) जहां किसी कानूनी प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार द्वारा यह विवाद्यक उठाया गया है कि ऐसा कोई विनिश्चय, जो किसी कानूनी प्राधिकारी द्वारा किया गया हो या किए जाने के लिए प्रस्थापित हो, वह इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रतिकूल है या होगा वहां ऐसा कानूनी प्राधिकारी ऐसे विवाद्यक की बाबत आयोग को निर्देश कर सकेगा :

परन्तु कोई कानूनी प्राधिकारी स्वप्रेरणा से आयोग को ऐसा निर्देश कर सकेगा ।

* * * * * *

आयोग द्वारा निर्देश ।

21क. (1) जहां आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार द्वारा यह विवाद्यक उठाया जाता है कि ऐसा कोई विनिश्चय, जो आयोग ने ऐसी कार्यवाही के दौरान लिया है या विनिश्चय लेने का प्रस्ताव करता है, इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रतिकूल है या होगा जिसका कार्यान्वयन किसी कानूनी प्राधिकारी को सौंपा जाता है वहां आयोग ऐसे विवाद्यक के संबंध में कानूनी प्राधिकारी को निर्देश कर सकेगा :

परंतु आयोग स्वःप्रेरणा से कानूनी प्राधिकारी को ऐसा निर्देश कर सकेगा ।

* * * * * *

आयोग की बैठकें ।

22. (1) * * * * *

(3) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो आयोग की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा :

परन्तु ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

* * * * * *

26. (1) * * * * * धारा 19 के अधीन जांच के लिए प्रक्रिया ।

(4) आयोग उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति संबद्ध पक्षकारों को भेज सकेगा :

परंतु यदि अन्वेषण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी से प्राप्त निर्देश के आधार पर कराया जाता है तो आयोग उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी को भेजेगा ।

(5) यदि, उपधारा (3) में निर्दिष्ट महानिदेशक की रिपोर्ट यह सिफारिश करती है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तो आयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी या सम्बद्ध पक्षकारों से महानिदेशक की ऐसी रिपोर्ट पर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करेगा ।

* * * * * *

(8) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट महानिदेशक की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है और आयोग की यह राय है कि और जांच कराई जानी चाहिए तो वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे उल्लंघन की जांच करेगा ।

27. जहां जांच के पश्चात् आयोग यह पाता है कि धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार अथवा किसी प्रधानस्थिति वाले उद्यम का कार्य, यथास्थिति, धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में है तो वह निम्नलिखित सभी या कोई आदेश पारित कर सकेगा— करारों या प्रधानस्थिति के दुरूपयोग के संबंध में जांच के पश्चात् आयोग द्वारा आदेश ।

* * * * * *

(ख) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या उद्यमों पर, जो ऐसे करारों या दुरूपयोग के पक्षकार हैं, ऐसी शास्ति अधिरोपित करना, जो वह उचित समझे किंतु वह गत तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत व्यापारावर्त के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु किसी उत्पादक संघ के साथ धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार किए जाने की दशा में, आयोग, उस उत्पादक संघ में सम्मिलित प्रत्येक उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके लाभ के तीन गुणा तक या ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके आवर्त के दस प्रतिशत तक की इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ;

* * * * * *

29. (1) जहां आयोग की प्रथमदृष्ट्या यह राय है कि किसी समुच्चय से भारत में सुसंगत बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या ऐसा प्रभाव पड़ा है, वहां वह समुच्चयों के पक्षकारों को कारण बताने के लिए कि ऐसे समुच्चय के संबंध में अन्वेषण क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इस सूचना की प्राप्ति समुच्चयों के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया ।

(5) यदि समुच्चय के पक्षकार जिन्होंने उपधारा (4) के अधीन उपांतरण को स्वीकार किया है, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपांतरण को लागू करने में असफल रहते हैं तो ऐसा समुच्चय प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समझा जाएगा और आयोग ऐसे समुच्चय के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

(6) यदि समुच्चय के पक्षकार उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा प्रस्थापित उपांतरण को स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसे पक्षकार, आयोग द्वारा प्रस्थापित उपांतरण के तीस कार्य दिवसों के भीतर आयोग द्वारा उस उपधारा के अधीन प्रस्थापित उपांतरणों में संशोधन प्रस्तुत कर सकेंगे ।

(7) यदि आयोग, उपधारा (6) के अधीन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन से सहमत है तो वह आदेश द्वारा समुच्चय का अनुमोदन करेगा ।

(8) यदि आयोग, उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार नहीं करता है तो पक्षकारों को अतिरिक्त तीस कार्य दिवसों की ऐसी और अवधि अनुज्ञात की जाएगी जिसके भीतर पक्षकार आयोग द्वारा उपधारा (3) के अधीन प्रस्थापित उपांतरणों को स्वीकार करेंगे ।

(9) यदि पक्षकार, आयोग द्वारा प्रस्थापित उपांतरण को स्वीकार करने में असफल रहते हैं तो उपधारा (6) में निर्दिष्ट तीस कार्य दिवसों के भीतर या उपधारा (8) में निर्दिष्ट अतिरिक्त तीस कार्य दिवसों के भीतर उक्त समुच्चय को पर्याप्त रूप से प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समझा जाएगा और उस पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(10) जहां आयोग ने उपधारा (2) के अधीन यह निदेश दिया है कि समुच्चय प्रभावी नहीं होगा या समुच्चय को उपधारा (9) के अधीन पर्याप्त रूप से प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समझा गया है वहां आयोग, ऐसी शास्ति पर, जो अधिरोपित की जाए या ऐसे अभियोजन पर, जो इस अधिनियम के अधीन आरंभ किया जाए, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश कर सकेगा कि,—

(क) धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट अर्जन; या

(ख) धारा 5 के खंड (ख) में निर्दिष्ट नियंत्रण अर्जित करना; या

(ग) धारा 5 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट विलयन या समामेलन,

प्रभावी नहीं किया जाएगा :

परन्तु आयोग, यदि उपयुक्त समझता है तो, इस उपधारा के अधीन अपने आदेश को प्रभावी बनाने के लिए स्कीम बना सकेगा ।

(11) यदि आयोग, धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आयोग को दी गई सूचना की तारीख से दो सौ दस दिवसों की अवधि की समाप्ति पर उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसार कोई आदेश पारित नहीं करता है या निदेश जारी नहीं करता है तो ऐसा समुच्चय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में विनिर्दिष्ट नब्बे कार्य दिवसों की अवधि अवधारित

करने के प्रयोजन के लिए, उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट तीस कार्य दिवसों की अवधि और उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट [1][दो सौ दस कार्य दिवसों] की अतिरिक्त अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।

(12) जब समुच्चय के पक्षकारों द्वारा समय के किसी विस्तार की मांग की गई है तब नब्बे कार्य दिवसों की अवधि की गणना पक्षकारों के निवेदन पर मंजूर की गई विस्तारित अवधि को घटाने के पश्चात् की जाएगी ।

* * * * * *

भारत से बाहर किए गए ऐसे कार्य जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव पड़ता है ।

32. आयोग को, इस बात के होते हुए भी कि,—

(क) धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार भारत से बाहर किया गया है; या

(ख) ऐसे करार का कोई पक्षकार भारत से बाहर है; या

(ग) प्रधानस्थिति का दुरूपयोग करने वाला कोई उद्यम भारत से बाहर है; या

(घ) कोई समुच्चय भारत के बाहर अस्तित्व में आया है; या

(ङ) समुच्चय का कोई पक्षकार भारत से बाहर है; या

(च) ऐसे करार या प्रधानस्थिति या समुच्चय से उद्भूत कोई अन्य विषय या व्यवहार या कार्य भारत से बाहर है,

ऐसे करारों या प्रधानस्थिति के दुरूपयोग या समुच्चय की अधिनियम की धारा 19, धारा 20, धारा 26, धारा 29 और धारा 30 के उपबंधों के अनुसार जांच करने की शक्तियां होंगी यदि ऐसे करार, प्रधानस्थिति या समुच्चय से भारत में सुसंगत बाजार में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे आदेश पारित करने की जिन्हें वह ठीक समझे, शक्तियां होंगी ।

* * * * * *

आयोग के समक्ष उपसंजात होना ।

35. कोई व्यक्ति या उद्यम या महानिदेशक आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए या तो स्वयं उपसंजात हो सकेगा या एक या अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों या कंपनी सचिवों या लागत लेखापालों या विधि व्यवसायियों या अपने किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है; 1949 का 38

(ख) "कंपनी सचिव" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है; 1980 का 56

1959 का 23

(ग) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित लागत लेखापाल अभिप्रेत है, जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है;

(घ) "विधि व्यवसायी" से कोई अधिवक्ता, वकील या किसी उच्च न्यायालय का कोई अटर्नी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत व्यवसायरत प्लीडर भी है ।

* * * * * *

अध्याय 5

महानिदेशक के कर्तव्य

महानिदेशक द्वारा उल्लंघनों का अन्वेषण किया जाना ।

41. (1) * * * * *

1956 का 1

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 240 और धारा 240क, जहां तक हो सके, महानिदेशक या उसके प्राधिकार के अधीन अन्वेषण कर रहे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अन्वेषण को उसी प्रकार लागू होंगी जैसे वे उस अधिनियम के अधीन नियुक्ति किसी निरीक्षक को लागू होती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

1956 का 1

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 1956 की धारा 240 के अधीन "केंद्रीय सरकार" शब्दों का अर्थ "आयोग" के रूप में लगाया जाएगा;

1956 का 1

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 1956 की धारा 240क के अधीन "मजिस्ट्रेट" शब्द का अर्थ "मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट दिल्ली" के रूप में लगाया जाएगा ।

अध्याय 6

शास्तियां

आयोग के आदेशों का उल्लंघन ।

42. (1) * * * * *

(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, अधिनियम की धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 42क और धारा 43क के अधीन निकाले गए आयोग के आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अननुपालन होता है, दस करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जैसा आयोग अवधारित करे, एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति निकाले गए आदेशों या निदेशों का अनुपालन नहीं करेगा या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहेगा तो वह धारा 30 के अधीन किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 25 करोड़ रूपए तक हो सकेगा या दोनों से, जैसा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली, उपयुक्त समझे, दंडनीय होगा :

परन्तु मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली, आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद पर के सिवाय, इस धारा के अधीन

किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

आयोग के आदेशों के उल्लंघन की दशा में प्रतिकर ।

42क. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति, आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों का उक्त उद्यम द्वारा अतिक्रमण किए जाने या धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32 और धारा 33 के अधीन निकाले गए आयोग के किसी विनिश्चय या आदेश का या किसी शर्त या निर्बंधन का जिसके अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन किसी विषय के संबंध में कोई अनुमोदन किया गया है, मंजूरी दी गई है, निदेश किया गया है या छूट अनुदत्त की गई है, किसी युक्तियुक्त आधार के बिना, उल्लंघन किए जाने या आयोग के ऐसे आदेशों या निदेशों को कार्यान्वित करने में विलंब किए जाने के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति को हुई किसी दर्शित हानि या नुकसान के लिए उक्त उद्यम से प्रतिकर की वसूली के लिए किसी आदेश के लिए अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

आयोग और महानिदेशक के निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

43. यदि कोई व्यक्ति—

(क) धारा 36 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन आयोग द्वारा; या

(ख) महानिदेशक द्वारा, जब वह धारा 41 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो,

दिए गए निदेश का किसी युक्तियुक्त कारण के बिना पालन करने में असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, जैसा आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

समुच्चयों के संबंध में जानकारी न देने के लिए शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

43क. यदि कोई व्यक्ति या उद्यम, धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आयोग को सूचना देने में असफल रहता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति या उद्यम पर, ऐसी शास्ति, जो ऐसे समुच्चय के कुल आवर्त या उसकी आस्तियों के, इनमें से जो भी अधिक हो, एक प्रतिशत तक की हो सकेगी, अधिरोपित करेगा ।

मिथ्या कथन करने या तात्विक सूचना प्रस्तुत करने में लोप के लिए शास्ति ।

44. यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी समुच्चय का पक्षकार है,—

* * * * * *

(ख) किसी तात्विक विशिष्टि का, यह जानते हुए कि वह तात्विक है, कथन करने में लोप करता है,

तो ऐसा व्यक्ति ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पचास लाख रूपए से कम नहीं होगी किन्तु जो एक करोड़ रूपए तक हो सकेगी जैसा आयोग द्वारा अवधारित किया जाए ।

जानकारी के प्रस्तुतीकरण से संबंधित अपराधों के लिए शास्ति ।

45. (1) धारा 44 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं विशिष्टियों, दस्तावेजों या किसी जानकारी को प्रस्तुत करता है; या प्रस्तुत किए जाने की जिससे अपेक्षा की जाती है,—

(क) कोई ऐसा कथन करता है, या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिसको वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किन्हीं

तात्त्विक विशिष्टियों में वह मिथ्या है; या

(ख) किसी तात्त्विक तथ्य का, यह जानते हुए कि वह तात्त्विक है, कथन करने में लोप करता है; या

(ग) किसी दस्तावेज में जिसको पूर्वोक्त के अनुसार प्रस्तुत करना अपेक्षित है जानबूझकर फेरबदल करता है, छिपाता है या उसे नष्ट करता है,

तो ऐसा व्यक्ति, जुर्माने से जो एक करोड़ रूपए तक का हो सकेगा, जैसा आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

कम शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

46. आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त व्यापार संघ में सम्मिलित किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता ने, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने धारा 3 का अतिक्रमण किया है, अभिकथित अतिक्रमण की बाबत पूर्ण सत्य प्रकटन किया है, और ऐसा प्रकटन महत्वपूर्ण है, ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर इस अधिनियम या नियमों या विनियमों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति से कम ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे :

परंतु आयोग द्वारा ऐसे मामलों में कम शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी जिनमें ऐसा प्रकटन करने से पूर्व धारा 26 के अधीन निदेशित अन्वेषण की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है :

परंतु यह और कि आयोग द्वारा व्यापार संघ में सम्मिलित ऐसे किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता की बाबत जिसने इस धारा के अधीन पूर्ण, सत्य और महत्वपूर्ण प्रकटन किया है, कम शास्ति अधिरोपित की जाएगी :

परंतु यह भी कि आयोग द्वारा कम शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी यदि प्रकटन करने वाला व्यक्ति आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के पूरा होने तक आयोग का सहयोग करना जारी नहीं रखता है :

परंतु यह भी कि आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यापार संघ में सम्मिलित ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता ने,—

(क) कार्यवाहियों के दौरान उस शर्त का पालन नहीं किया था, जिस पर आयोग द्वारा कम शास्ति अधिरोपित की गई थी; या

(ख) उसने मिथ्या साक्ष्य दिया था; या

(ग) किया गया प्रकटन महत्वपूर्ण नहीं है,

और तदुपरांत ऐसे उत्पापक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता का ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, जिसकी बाबत कम शास्ति अधिरोपित की गई थी और वह ऐसी शास्ति अधिरोपित किए जाने का भी दायी होगा जिसके लिए, यदि कम शास्ति अधिरोपित नहीं की गई होती, तो वह दायी होता ।

शास्तियों के रूप में वसूल की गई धनराशि का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना ।

47. इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी धनराशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी ।

कंपनियों द्वारा उल्लंघन ।

48. (1) जहां, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, आदेश या जारी किए गए निदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कंपनी है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का, भारसाधाक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन के लिए दोषी माने जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी सम्यक् सावधानी बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, आदेश या जारी किए गए निदेश के किसी उपबंध का कोई उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो गया है कि ऐसा उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से हुआ है या उनकी ओर से जानबूझकर की गई किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और वह तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 7

प्रतिस्पर्धा समर्थन

प्रतिस्पर्धा समर्थन ।

49. (1) * * * * *

(3) आयोग, प्रतिस्पर्धा समर्थन के संप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धा के मुद्दों के प्रति जागरुकता पैदा करने और प्रशिक्षण देने के लिए सृजित किए जाने वाले उपयुक्त उपाय करेगा ।

* * * * * *

अध्याय 8क

प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण

अपील अधिकरण की स्थापना ।

53क. केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए अधिसूचना द्वारा प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील अधिकरण की स्थापना करेगी—

(क) आयोग द्वारा इस अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) और उपधारा (6), धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 38, धारा 39 धारा 43, धारा 43क, धारा 44, धारा 45 या धारा 46 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश या किए गए विनिश्चय या पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना और उनका निपटारा करना;

* * * * * *

53ख. (1) * * * * * अपील अधिकरण को अपील ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको आयोग द्वारा दिए गए निदेश या किए गए विनिश्चय या पारित आदेश की प्रति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या उद्यम या उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए :

परंतु अपील अधिकरण साठ दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसके फाइल न किए जाने के पर्याप्त कारण थे ।

* * * * * *

53ढ. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या कोई उद्यम या कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को ऐसे प्रतिकर के दावे का न्यायनिर्णयन करने के लिए, जो आयोग के निष्कर्षों या आयोग के किसी निष्कर्ष के विरुद्ध किसी अपील में अपील अधिकरण के आदेशों या अधिनियम की धारा 42क के अधीन या धारा 53थ की उपधारा (2) के अधीन उद्भूत होता है, और किसी उद्यम द्वारा किए गए अध्याय 2 के उपबंधों के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी उद्यम या किसी व्यक्ति को हुई किसी हानि या नुकसानी के लिए उस उद्यम से प्रतिकर की वसूली के लिए आदेश पारित करने के लिए आवेदन कर सकेगा । प्रतिकर का दिया जाना ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ आयोग के निष्कर्ष, यदि कोई हों, होंगे और ऐसी फीस भी होगी जो विहित की जाए ।

* * * * * *

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) अपील अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन केवल अधिनियम की धारा 53क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन या तो आयोग या अपील अधिकरण द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही में यह अवधारित किए जाने के पश्चात् ही किया जा सकेगा कि अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है या यदि धारा 42क या धारा 53थ की उपधारा (2) के उपबंध लागू होते हैं;

(ख) उपधारा (3) के अधीन की जाने वाली जांच, प्रतिकर के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की पात्रता और उसको शोध्य प्रतिकर की मात्रा का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए होगी और न कि आयोग या अपील अधिकरण के

निष्कर्षों की इस बारे में नए सिरे से जांच करने के लिए कि क्या अधिनियम का कोई अतिक्रमण हुआ है ।

* * * * * *

अपील अधिकरण के आदेशों का उल्लंघन ।

53थ. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति किसी युक्तियुक्त आधार के बिना, अपील अधिकरण के किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह शास्ति से, जो एक करोड़ रूपए से अधिक की नहीं होगी या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या दोनों का, जैसा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट दिल्ली, ठीक समझे, भागी होगा :

परंतु मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली, इस उपधारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद के सिवाय, नहीं करेगा ।

* * * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

63. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) चयन समिति की अवधि और धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नामों के पैनल के चयन की रीति;

* * * * * *

विनियम बनाने की शक्ति ।

64. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

* * * * * *

(ग) वह प्ररूप जिसमें धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन अर्जन के ब्यौरे दाखिल किए जाएंगे;

* * * * * *